राजस्थान **उच्च** न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 292/2022

प्रत्यूष शास्त्री पुत्र श्री मदन लाल शास्त्री, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी 602 ओपल 4 बिल्डिंग, बुरजुमान मॉल के पीछे, बुर दुबई, दुबई, यूएई, स्थायी निवासी 78, नवलखा रोड, छावनी के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

----**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. **राजस्थान राज्य**, सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से

2. **अतिरिक्त महानिदेशक**, **पुलिस**, **मानव तस्करी विरोधी इकाई**, **जयपुर**, **राजस्थान**

3. **पुलिस अधीक्षक**, जयपुर (दक्षिण)

4. **थानाधिकारी**, पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर (दक्षिण)

5. **अवध मिश्रा**, **निवासी सी**-1/**सी**-2, **विनायक अपार्टमेंट**, **फ्लैट नंबर** 310, **पृथ्वीराज रोड**, **सी-स्कीम**, **अशोक नगर**, **जयपुर (दक्षिण)**

6. **आकांक्षा शास्त्री पत्नी श्री प्रत्यूष शास्त्री**, **वर्तमान निवासी सी**-1/**सी**-2, **विनायक अपार्टमेंट**, **फ्लैट नंबर** 310, **पृथ्वीराज रोड**, **सी-स्कीम**, **अशोक नगर**, **जयपुर (दक्षिण)**

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : **श्री वी.आर. बाजवा**, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ **श्री तरुण अग्रवाल**, अधिवक्ता।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री प्रत्यूष चौधरी, अधिवक्ता के साथ श्री हितांशु जोशी, अधिवक्ता, श्री दीपक चौहान, अधिवक्ता की ओर से। श्री नासिर अली नकवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता की सहायता से श्री हकम अली, अधिवक्ता।

माननीय मुख्य जस्टिस **श्री. मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव**

माननीय श्रीमती जस्टिस **शुभा मेहता**

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

31/05/2024

न्यायालय द्वारा: (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार)

मामले का तथ्यात्मक सार:

1. यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भारत के संविधान के **अनुच्छेद** 226 के तहत नाबालिग बेटे के पिता द्वारा **बंदी प्रत्यक्षीकरण** की रिट जारी करने के साथ-साथ नाबालिग बेटे की सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए भी दायर की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि नाबालिग बेटा प्रतिवादी संख्या 5 (नाना) और प्रतिवादी संख्या 6 (मां) की अवैध हिरासत और निरोध में है।

2. याचिकाकर्ता-पति ने अपनी याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया है कि उसका विवाह प्रतिवादी संख्या 6 के साथ 15.02.2015 को इंदौर में संपन्न हुआ था। कुछ दिनों के बाद, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6-पत्नी/मां ने दुबई जाने का

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

फैसला किया, जहां याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा था। उनके विवाह से, जब दोनों दुबई में रह रहे थे, 23.06.2017 को दुबई में एक बेटा पैदा हुआ। बच्चे की मां 09.08.2017 को दुबई से जयपुर गई और वापस आने तक वहीं रही। आगे की दलील विभिन्न घटनाओं को प्रकट करती है जो मतभेद और विवादों का कारण बनीं, जिससे विवाहित जीवन की शांति भंग हुई। प्रतिवादी संख्या 6 मार्च, 2022 में नाबालिग बेटे के साथ फिर से भारत आ गई। हालांकि,घटनाओं के अचानक मोड़ में, प्रतिवादी संख्या 6 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया और उसने बच्चे के साथ दुबई लौटने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसके बाद जल्दी से भारत आया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 ने मिलने से या यहां तक कि याचिकाकर्ता को बच्चे से मिलने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 5, जो प्रतिवादी संख्या 6 के पिता हैं, ने याचिकाकर्ता को गंभीर परिणामों की धमकी दी और इसलिए, याचिकाकर्ता को अकेले ही 08.04.2022 को दुबई लौटना पड़ा। यह भी निवेदन किया गया है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए याचिकाकर्ता के कदम की आशा में, प्रतिवादी संख्या 6 ने 23.04.2022 को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ -साथ दहेज की मांग और घरेलू हिंसा आदि का आरोप लगाया गया। प्रतिवादी संख्या 6 और उसके माता-पिता याचिकाकर्ता को अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता दुबई में अच्छी खासी कमाई करता है और एक समृद्ध जीवन जीता है, जहां बेटे का जन्म हुआ था और वह शैक्षणिक संस्थान में नामांकित था। बेटा दुबई में सर्वोत्तम शिक्षा और अन्य सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 6 ने पिता की सहमति के बिना बच्चे को अवैध रूप से दुबई से हटा

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

दिया है और उसे भारत ला कर अवैध रूप से बच्चे की अभिरक्षा बनाए रखा है। उसके पास खुद को और नाबालिग बेटे का भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता नहीं है और वह बच्चे की जरूरतों सहित अपनी सभी जरूरतों के लिए याचिकाकर्ता पर आर्थिक रूप से निर्भर है। मां की तुलना में, बच्चे के विकास और विकास के लिए कहीं अधिक बेहतर शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिता एक बेहतर स्थिति में है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 6 से बच्चे का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए दुबई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 को बच्चे का पासपोर्ट याचिकाकर्ता को वापस करने का निर्देश दिया गया था और बच्चे को दुबई से भारत अवैध रूप से हटाया गया था। बच्चा अपने मूल देश, यानी दुबई का एक प्राकृतिक निवासी है और इसलिए, स्थानीय कानूनों के अनुसार, पिता की सहमति के बिना बच्चे को बाहर निकालना और उसे दुबई से दूर रखना अवैध है और अवैध निरोध के बराबर है। यह बच्चे के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। **अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम**, 1890 (इसके बाद '1890 का अधिनियम') के तहत सामान्य उपाय उपलब्ध नहीं हैं। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि दुबई में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मुद्दों के साथ सबसे घनिष्ठ संपर्क है। याचिका में बताए गए कारणों से मां के साथ बच्चे का रहना उसके कल्याण और सर्वोत्तम हित के लिए हानिकारक है। इसलिए, ऐसी दलीलों पर, याचिकाकर्ता ने बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपने के लिए एक आदेश जारी करने की प्रार्थना की है।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

3. प्रतिवाद में, प्रतिवादी संख्या 6 (बच्चे की मां) और प्रतिवादी संख्या 5 (नाना) द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के माध्यम से, याचिका में मांगी गई राहत का विरोध किया गया है। हालांकि विवाह की तारीख और स्थान के साथ-साथ बच्चे के जन्म की तारीख और स्थान के बारे में तथ्यों का विवाद नहीं किया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की रखरखाव पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 6 बच्चे की नैसर्गिक अभिभावक है और यह अवैध या गलत निरोध का मामला नहीं है क्योंकि मां को कभी भी अपने ही नाबालिग बेटे को अवैध और गलत हिरासत में रखने वाला नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता ने खुद ही मां को नाबालिग बेटे के साथ भारत की यात्रा करने की अनुमति दी थी क्योंकि उसने खुद ही उड़ान के टिकट बुक किए थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे को उसकी जानकारी या सहमति के बिना पिता की अभिरक्षा से हटाया गया था। यह याचिका केवल एक सोचा-समझा कदम और प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का जवाब है। यह याचिका प्रतिवादी संख्या 6 पर प्राथमिकी वापस लेने के लिए दबाव डालने के गलत मकसद से दायर की गई है। कम उम्र के बच्चे का सर्वोत्तम हित मां के पास है, जो एक सुशिक्षित और स्वतंत्र महिला है। नाबालिग बेटे का पहले से ही जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में नामांकन हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता एक नशीली दवा और सेक्स का आदी है और ऐसे अनैतिक व्यक्ति के साथ बच्चे की अभिरक्षा की अनुमति देना बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 6 या बच्चा कोई भी दुबई के नागरिक नहीं हैं, हालांकि बच्चे का जन्म दुबई में हुआ था। वे सभी भारतीय नागरिक बने हुए हैं और केवल भारतीय पासपोर्ट रखते हैं। दुबई के न्यायालय द्वारा

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

पारित आदेश नाबालिग बच्चे के कल्याण के संबंध में विचार करते हुए अभिरक्षा के मुद्दे का फैसला नहीं करता है, बल्कि केवल पासपोर्ट के तकनीकी मुद्दे से संबंधित है। यह कानून का एक सीधा नियम नहीं है कि 5 वर्ष की उम्र के बच्चे को अनिवार्य रूप से पिता की अभिरक्षा में दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर, बच्चे की अभिरक्षा मां के पास रह सकती है और रहनी चाहिए जहां उसे मां की अभिरक्षा में रहने की अनुमति देने से नाबालिग का कल्याण सबसे अच्छी तरह से पूरा होता है। याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है। प्रतिवादी संख्या 6 ने प्राथमिकी दर्ज कराई क्योंकि उसे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, दहेज की मांग थी, घरेलू हिंसा थी और अपराध भी दर्ज किए गए हैं। ऐसी दहेज की मांगों, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के कारण, प्रतिवादी संख्या 6 याचिकाकर्ता के साथ रहने में असमर्थ है और ऐसी स्थिति में कि माता-पिता एक साथ नहीं रह रहे हैं बल्कि अलग हो गए हैं, नाबालिग बेटे का कल्याण मां की अभिरक्षा में रहने की अनुमति देने में है, जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक विकास और शारीरिक विकास की सभी जरूरतों का देखभाल करेगी, साथ ही आवश्यक प्यार और स्नेह भी प्रदान करेगी, जो याचिकाकर्ता द्वारा दुबई में प्रदान नहीं किया जा सकता।

4. इस न्यायालय ने 10.10.2022, 17.10.2022 **और** 25.11.2022 को विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए। मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने का भी प्रयास किया गया। इस न्यायालय ने 25.11.2022 को बच्चे के साथ बातचीत भी की और याचिकाकर्ता के नशीली दवा का आदी होने के आरोप की सत्यापन के लिए उसकी चिकित्सा जांच के लिए भी निर्देश जारी किए।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

5. प्रतिवादी संख्या 6 ने इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों से व्यथित होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 02.12.2022 को, इस न्यायालय द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों पर रोक लगा दी गई थी। अपील का अंत में 01.08.2023 को निपटारा कर दिया गया, जिसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि बार-बार अंतरिम निर्देश जारी करने के बजाय, उच्च न्यायालय के लिए उचित तरीका यह होगा कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करे और तब तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को मिलने का अधिकार देकर की गई अंतरिम व्यवस्था को जारी रखने का आदेश दिया गया।

6. मुख्य दलीलों के अलावा, याचिकाकर्ता ने पिटीशन (याचिका) के पासपोर्ट के नवीनीकरण और चाइल्ड काउंसलर की नियुक्ति के लिए निर्देश मांगते हुए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी संख्या 6 ने अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए **धारा** 151 **सीपीसी** के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रवेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर आरोप -पत्र का विवरण दिया गया था। आगे, संबंधित पक्षों द्वारा और अधिक जवाब, प्रति-जवाब और अतिरिक्त हलफनामे भी दायर किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने बच्चे के कल्याण में भी हलफनामा दायर किया है जिसके खिलाफ प्रतिवादी संख्या 6 ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी वर्तमान आय और वित्तीय स्थिति के बारे में एक और अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया है। प्रतिवादी संख्या 6 ने अपनी रोजगार, नाबालिग बेटे के स्कूल में प्रवेश और फीस के भुगतान आदि का विवरण देते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ:-

7. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बड़े पैमाने पर तर्क दिया और जोर दिया कि यह मामला प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे को दुबई से भारत में अवैध और अचानक हटाने का है, जो प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किया गया एक छल का कार्य है। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 अपने विवाह के बाद से दुबई में रह रहे हैं और बेटे का जन्म भी दुबई में हुआ था और इसलिए वह दुबई का प्राकृतिक निवासी और मूल निवासी है। उसका पालन-पोषण अपने बचपन के बाद से केवल दुबई के वातावरण में हुआ है। नाबालिग बेटे को भी एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में दाखिल कराया गया है। याचिकाकर्ता एक समृद्ध व्यक्ति है जो दुबई में अपने रोजगार से अच्छी खासी वेतन प्राप्त कर रहा है। वह दुबई में एक स्थिर और आरामदायक जीवन जी रहा है। बच्चे को उसके मूल स्थान के वातावरण से अचानक हटाने का कार्य, जहां वह पैदा हुआ और बड़ा हुआ, ने न केवल वातावरण और परिवेश में बदलाव के कारण एक कठोर झटका दिया है, बल्कि उसे दुबई में शिक्षा और उसकी निरंतरता से भी वंचित कर दिया है। इसने उसके बेटे के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और प्रतिवादी संख्या 6 ने केवल आपराधिक कृत्य के तुच्छ आरोप पर याचिकाकर्ता के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए, बेटे को अवैध रूप से दुबई से हटा दिया और उसे भारत ला आई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक वित्तीय स्थिति और स्थिरता का संबंध है, याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 6 की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है, जो पढ़ी-लिखी होने के बावजूद बेरोजगार है और अपने पिता की

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

मामूली पेंशन पर निर्भर है, जिससे उसके लिए अपनी और बच्चे दोनों की सभी जरूरतों को पूरा करना असंभव है। यह बच्चे की शिक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यह बच्चे के कल्याण के सर्वोच्च विचार का फैसला करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। प्रतिवादी संख्या 6 याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वित्तीय समर्थन पर पूरी तरह से निर्भर है, जिसका विवरण याचिका में दिया गया है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 ने कोई विवाद नहीं किया है। यहां तक कि अब भी, उसे याचिकाकर्ता से मासिक वित्तीय सहायता मिल रही है। इसके अलावा, बच्चा दुबई में जिस शिक्षा का स्तर प्राप्त कर रहा था, वह उस शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना में कहीं बेहतर है, जो प्रतिवादी संख्या 6 भारत में प्रदान कर रही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 आर्थिक रूप से न तो समृद्ध है और न ही उस तरह की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है, जो बच्चे को दुबई में मिल रही थी। **हिंदू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम**, 1956 (इसके बाद '1956 का अधिनियम') के तहत 5 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग बेटे का पिता एक नैसर्गिक अभिभावक है और अन्य चीजें समान होने पर उसे मां पर वरीयता मिलती है। 'घनिष्ठ संपर्क के न्यायालय' और 'निकटतम चिंता' और 'न्यायालयों के शिष्टाचार' के सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर, नाबालिग बेटे को उसके प्राकृतिक और अभ्यस्त निवास के देश में लौटाना आवश्यक है जहां उसके सर्वोत्तम हित और कल्याण को उसके पिता, याचिकाकर्ता के हाथों में संरक्षित किया जाएगा। भारत में परिवार न्यायालयों के पास नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के मामलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो विदेशी निवासी हैं और आमतौर पर परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए 1890 के अधिनियम की **धारा** 9 के तहत सामान्य उपाय

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

अनुपलब्ध है और केवल यूएई न्यायालय ही नाबालिग की अभिरक्षा के प्रश्न का फैसला करने के लिए सक्षम है। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग पर कि बच्चे का कल्याण सर्वोच्च विचार है, सभी प्रासंगिक पहलुओं पर, यह बच्चे के हित में होगा कि अभिरक्षा पिता को दी जाए। केवल याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे की अभिरक्षा के संभावित दावे से बचने और उसका विरोध करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 6 ने दहेज, घरेलू हिंसा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और वेश्यावृत्ति के तुच्छ और निराधार आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 6 के पास बच्चे की अभिरक्षा हानिकारक है क्योंकि वह नाबालिग बेटे की देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल करने में पूरी तरह से विफल रही है और वह बच्चे के कल्याण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने में असमर्थ है। अच्छी स्कूलिंग तक पहुंच प्रदान करने के लिए उसमें वित्तीय समर्थन, क्षमता, संसाधन और योग्यता की कमी है। प्रतिवादी संख्या 6 और उसके माता-पिता का समग्र चरित्र और पृष्ठभूमि अनैतिक चरित्र और पतित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है, जो बच्चे के समग्र विकास और कल्याण के लिए हानिकारक है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य, **(2017) 8** सुप्रीम कोर्ट केस **454,** लहरी साखामुरी बनाम शोभन कोडाली, **(2019) 7** सुप्रीम कोर्ट केस **311,** तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य, **(2019) 7** सुप्रीम कोर्ट केस **42,** यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, **(2020) 3** सुप्रीम कोर्ट केस **67** और सौमित्र कुमार नाहर बनाम पारुल नाहर, **(2020) 7** सुप्रीम कोर्ट केस **599** और रोहित थम्माना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, **(2022)** एससीसी ऑनलाइन एससी **937** के मामलों में माननीय सर्वोच्च

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

न्यायालय के फैसलों और मद्रास उच्च न्यायालय के भाग्यलक्ष्मी और अन्य बनाम के. नारायण राव, **(1981)** सुप्रीम कोर्ट केस ऑनलाइन मद **190** के मामले के फैसले पर भरोसा किया है।

<u>प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुतियाँ:-</u>

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत का विरोध करते हुए न केवल याचिका की **पोषणीयता** पर, बल्कि मामले के **गुण-दोष** पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह अवैध या गैरकानूनी हिरासत का मामला नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी नैसर्गिक अभिभावक, यानी मां के साथ है, और इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए रिट याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि याचिकाकर्ता बच्चे की अभिरक्षा चाहता है, तो उसे **अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम**, 1890 के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में उचित आवेदन करके सामान्य उपाय का सहारा लेना चाहिए। दुबई न्यायालय का कोई भी आदेश बच्चे को वापस भेजने के लिए नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि बच्चे को याचिकाकर्ता को अभिरक्षा देने के किसी भी आदेश की अवहेलना में दुबई से हटाकर भारत लाया गया है। दुबई न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहीं भी बच्चे को दुबई वापस भेजने का निर्देश नहीं है; यह केवल बच्चे का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश देता है। इस आदेश में बच्चे के कल्याण के पहलू पर कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए 14.09.2022 का दुबई न्यायालय का आदेश मां के साथ बच्चे की हिरासत को अवैध नहीं बनाता है, जिससे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार को

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

लागू करना उचित ठहरे। यह भी कहा गया है कि बच्चे को दुबई से भारत लाए जाने के छह महीने से अधिक की देरी के बाद याचिका दायर की गई है और इसलिए याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जाता है और जो कोई भी इस असाधारण उपाय का उपयोग करना चाहता है, उसे कारण उत्पन्न होने के तुरंत बाद संवैधानिक न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। इसलिए, ऊपर उठाए गए तीन आधारों पर, याचिका पोषणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. मामले के गुण-दोष के आधार पर, इस पर विस्तार से बहस की गई है और तर्क दिया गया है कि माँ प्राकृतिक अभिभावक है और बच्चा अपनी माँ और नाना-नानी के साथ लगभग 2 वर्षों से भारत में रह रहा है और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भी भाग ले रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे का भारत में रहना किसी भी तरह से बच्चे के विकास के लिए हानिकारक है। माँ और नाना-नानी उच्च शिक्षित हैं और वर्तमान में माँ भी अच्छी नौकरीपेशा है। हालाँकि बच्चा दुबई में पैदा हुआ था, फिर भी वह भारतीय नागरिक बना हुआ है क्योंकि उसे कोई भी नागरिकता अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए, उसके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, विविध करियर संभावनाओं सहित सर्वोत्तम हित भारत में ही सुरक्षित हैं और नाबालिग बेटे को दुबई वापस भेजने पर कोई विशेष विचार नहीं किया जा रहा है। वर्तमान कार्यवाही केवल संक्षिप्त प्रकृति की है और जब तक कोई असाधारण मामला सामने न आए कि बच्चे का भारत में माँ के साथ

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

रहना, उसके स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य पहलुओं के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है, तब तक भारतीय नागरिक बच्चे की स्वदेश वापसी का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा दायर ऐसी याचिका के माध्यम से नहीं मांगा जा सकता, खासकर जब माता-पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता फिलहाल दुबई में कार्यरत है, यह अपने आप में यह मामला नहीं बनता कि बच्चे को दुबई वापस भेजा जाए, जो विदेशियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता। इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि बच्चे या उसके माता-पिता को संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, दलील यह है कि यद्यपि बेटा दुबई में पैदा हुआ था, लेकिन उसने दुबई में जड़ें नहीं जमाई थीं। उसका जन्म 2017 में हुआ था और 5 साल की उम्र में उसे भारत लाया गया था और तब से वह यहाँ सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं और परिवेश के साथ रह रहा है, और अपनी माँ और नाना-नानी के प्यार, देखभाल और स्नेह में उचित मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम शिक्षा और वातावरण प्राप्त कर रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास जारी रहने से नाबालिग के जीवन, अंग, सुरक्षा और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो। दुबई में आधी प्री-प्राइमरी स्कूली शिक्षा की तुलना में, पिछले 2 वर्षों में उसकी अधिकांश प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा भारत में हुई है। उसने दोस्त बनाए हैं और वह भारत के समाजशास्त्र से पूरी तरह परिचित है। दुबई में उसके प्रत्यावर्तन का कोई भी आदेश उसके समग्र विकास के लिए अनुकूल नहीं होगा। भारत में किसी भी प्रकार का विदेशी वातावरण न होने के कारण, बिना किसी छत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नाबालिग बेटे के कल्याण के लिए उसे पिता की अभिरक्षा में देने की

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

विस्तृत जाँच उचित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न सामग्रियों और अतिरिक्त हलफनामे से पता चलता है कि वह अच्छी कमाई कर रही है और अपने पिता के सहयोग से जीवन-यापन लागत सूचकांक को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के प्रति उसका सर्वोत्तम हित सुनिश्चित नहीं किया जा सका। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने भी अभिलेख में उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों के संदर्भ में यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक स्वच्छ नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल नशे का आदी है, बल्कि यौन व्यसनी भी है और बच्चे की अभिरक्षा पिता को देना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा जब परिवार में माँ और अन्य रिश्तेदार आसपास न हों। यदि ऐसी हिरासत की अनुमति दी जाती है, तो बच्चे की सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। अपने तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है: **धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे, (1998) 1 सर्वोच्च न्यायालय मामले मामले 112, गीता हरिहरन (सुश्री) और अन्य बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य, (1999) 2 सर्वोच्च न्यायालय मामले 228, सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा, (2000) 3 सर्वोच्च न्यायालय मामले 14, गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल, (2009) 1 सर्वोच्च न्यायालय मामले 42, रुचि माजू बनाम संजीव माजू, (2011) 6 सर्वोच्च न्यायालय मामले 479, रोक्सैन शर्मा बनाम अरुण शर्मा, (2015) 8 सुप्रीम कोर्ट मामले 318, नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और एक अन्य सुप्रीम कोर्ट), कनिका**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

गोयल बनाम दिल्ली राज्य, स्टेशन हाउस अधिकारी के माध्यम से और एक अन्य, (2018) 9 सुप्रीम कोर्ट मामले 578, सारा कैरियर दुबे बनाम आशीष दुबे और अन्य (आपराधिक अपील संख्या(संख्याएँ)। 2020 की 304, 17.02.2020 को निर्णीत) और रोहित थम्मनगौड़ा बनाम राज्य कर्नाटक और अन्य (सुप्रा), बलकार सिंह मोला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (अपील की विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 3414/2022, पर निर्णय लिया गया| इस न्यायालय की खंडपीठों द्वारा **गोवर्धन लाल एवं अन्य बनाम गजेंद्र कुमार (2002) 1 वेस्टर्न लॉ केस (राजस्थान) 419, झमकू बनाम गोदा (डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 952/2001, 23.11.2005 को निर्णीत), जन्नी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 8/2022, 16.02.2022 को निर्णीत),** मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा **के.वी. भास्करन बनाम पी.ओ. शोभा (उच्च न्यायालय याचिका संख्या 168/1992, 20.10.1992 को निर्णीत)** और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु का **श्री पवन श्रीकांत रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामले में निर्णय (डब्ल्यूपीएचसी संख्या 130/2016, 22.02.2018 को निर्णीत)।**

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष**:-**</u>

10. **हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, विभिन्न संबंधित प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है और मामले के अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है।**

11. **यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला अचल संपत्ति/संपत्ति से संबंधित विवाद नहीं है, बल्कि एक जीवित व्यक्ति, नाबालिग, दत्तक माता-पिता के पितृत्व से संबंधित है, हम अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मामले के कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे।**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

12. **मुख्य दलीलों के अतिरिक्त, मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिए जाने के बाद भी, पक्षकारों द्वारा विभिन्न समय पर दायर किए गए विभिन्न हलफनामों को सभी तकनीकी पहलुओं को अलग रखते हुए, केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर लिया गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।**

13. **गुण-दोष के आधार पर विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, हम सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या** 5 **और** 6 **के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्तुतियों पर वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति पर विचार करेंगे।**

14. **याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में पहली आपत्ति इस दलील पर आधारित है कि वर्तमान मामला बच्चे को माँ के पास अवैध या अनुचित रूप से रखने का नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि माँ एक स्वाभाविक अभिभावक है और बच्चा चाहे दुबई में रह रहा हो या भारत में, वह अपनी जैविक माँ के अलावा किसी और के साथ नहीं रहा है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने हेतु यह याचिका स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसा उपाय केवल अवैध हिरासत के मामले में ही उपलब्ध है और ऐसी कोई परिस्थिति या स्थिति नहीं हो सकती जब माँ के पास बच्चे की हिरासत को अवैध हिरासत का मामला कहा जा सके। यह तर्क दिया गया है कि चाहे बच्चे का हित माता या पिता की अभिरक्षा में निहित हो, यह अवैध हिरासत का मामला नहीं हो सकता और इसलिए, इस याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है।**

इसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य **(**सुप्रा**)** और यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **(**सुप्रा**)** के मामलों में दिए गए आधिकारिक निर्णय में निहित है।

इस न्यायालय की एक खंडपीठ को डॉ**.** स्वाति जोशी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **(**डी.बी**.** बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या **349/2022, 02.06.2023** को निर्णीत**) के मामले में बच्चे के पिता द्वारा उठाई गई इसी प्रकार की आपत्ति पर निर्णय लेने का अवसर मिला था, जिसमें बच्चे की माँ द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

किया गया था। उस मामले में भी, प्रतिवादी-माँ द्वारा यहाँ उठाई गई आपत्ति के समान ही आपत्ति उठाई गई थी, जिसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों के आधार पर दिया गया था। निम्नलिखित:-

> "विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) की रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाई गई आपत्ति कि माता-पिता के खिलाफ बच्चे की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है, खारिज किए जाने योग्य है।
>
> यह आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य** (सुप्रा) और **यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य और अन्य** (सुप्रा) के मामलों में दिए गए निर्णयों के मद्देनज़र खारिज की जाती है।
>
> **तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य (सुप्रा)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि:-
>
>> "19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या उसकी जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिस के द्वारा बच्चे की अभिरक्षा को न्यायालय के विवेक पर संबोधित किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार (प्रिरोगेटिव) रिट है जो एक असाधारण उपाय है और यह रिट वहां जारी की जाती है जहां किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा कोई रिट जारी नहीं की जाएगी। बच्चे की हिरासत के मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन्हीं मामलों में योग्य है जहां एक नाबालिग को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाए जो उसकी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है। प्रश्नगत मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय के मद्देनज़र, हमारे विचार में, बच्चों की हिरासत के

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय है जहां यह साबित हो जाता है कि किसी माता-पिता या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी नाबालिग बच्चे की हिरासत अवैध थी और कानून के किसी अधिकार के बिना थी।"

इसके बाद के निर्णय **यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (सुप्रा) में भी**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से कहा कि:

"10. अब यह तर्क देना बहुत देर हो चुकी है कि यदि बच्चा दूसरे माता-पिता की हिरासत में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय नहीं है। इस संबंध में कानून समय के साथ बहुत विकसित हुआ है, लेकिन अब यह एक स्थापित स्थिति है कि न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। यह **एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंद एम. दिनशॉ (1987) 1 एससीसी 42, नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2017) 8 एससीसी 454** और **लहरी साखामुरी बनाम सोभन कोडाली (2019) 7 एससीसी 311** सहित अन्य मामलों में किया गया है। इन सभी मामलों में, रिट याचिकाओं पर विचार किया गया था। इसलिए, हम अपीलकर्ता पत्नी के इसतर्क को खारिज करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पोषणीय नहीं थी।

11. हमें इस संबंध में सभी निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नित्या आनंद राघवन (सुप्रा) के निर्णय से निम्नलिखित अवलोकन उद्धृत करना उचित होगा: (एससीसी पृष्ठ 479-80, पैरा 46-47)।

"46. एक नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए याचिका से निपटने के दौरान उच्च न्यायालय, किसी विशेष मामले में, उपरोक्त उल्लिखित सभी परिस्थितियों और स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या उसकी अभिरक्षा बदलने से इनकार कर सकता है। एक बार फिर, हम यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मामले में न्यायालय का निर्णय, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए जो उसके समक्ष पेश

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

किए गए हैं, जबकि बच्चे के कल्याण पर विचार किया जाता है जो सर्वोच्च विचार है। विदेशी न्यायालय का आदेश बच्चे के कल्याण के लिए अधीन होना चाहिए। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के खिलाफ विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता और उस अधिकार क्षेत्र को एक निष्पादन न्यायालय (एग्जीक्यूटिंग कोर्ट) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। निस्संदेह, रिट याचिकाकर्ता विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए कानून में अनुमेय ऐसे किसी अन्य उपाय का आश्रय ले सकता है या यदि उसे सलाह दी जाए तो बच्चे की हिरासत के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष कानून में अनुमेय कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।

47. जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय को शुरुआत में यह जांच करनी चाहिए कि नाबालिग किसी अन्य व्यक्ति (रिट याचिका में नामित निजी प्रतिवादी) की वैध या अवैध अभिरक्षा में है या नहीं।"

12.

इसके अलावा, **कनिका गोयल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2018) 9 एससीसी 5 78** के मामले में, यह कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 609, पैरा 34)

"34. जैसा कि इस न्यायालय के हाल के निर्णयों में बताया गया है, मुद्दे का निर्णय नाबालिग बच्चे की हिरासत का दावा करने वाले पक्षों के अधिकारों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ध्यान इस बात पर लगातार केंद्रित रहना चाहिए कि क्या नाबालिग बच्चे का **सर्वोत्तम हित** वापस अपने मूल देश लौटने में है या अन्यथा। यह तथ्य कि नाबालिग बच्चे को अपने मूल देश में लौटने पर बेहतर भविष्य मिलेगा, नाबालिग बच्चे की हिरासत देने के लिए एक सार भूत कार्यवाही में एक प्रासंगिक पहलु हो सकता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शुरुआती मुद्दों की जांच के लिए यह निर्णायक नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के उद्देश्य

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

के लिए, न्यायालय को नाबालिग बच्चे को उसके मूल देश से हटाकर एक ऐसे स्थान पर ले जाने की मौजूदा परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसे विदेशी वातावरण, भाषा, रीति-

रिवाज आदि का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके समग्र विकास और व् यक्तित्व निर्माण में बाधा डाल रहा है और क्या वहां उसका रहना हानिकार क होगा।"

13. वर्तमान मामले में चूंकि पत्नी ने अमेरिका में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके नाबालिग को भारत लाया, उसकी बच्चे की अभिरक्षा को सख्ती से कानूनी नहीं कहा जा सकता। हालांकि, हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता पत्नी को अमेरिका जाने का निर्देश नहीं दे सकता था। पत्नी एक वयस्क है और कोई भी न्यायालय उसे ऐसे स्थान पर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जहां वह नहीं रहना चाहती है। बच्चे की अभिरक्षा एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहां तक कि बच्चे की अभिरक्षा के मुद्दे पर निर्णय लेते समय भी, हमारा यह स्पष्ट विचार है कि **रिट क्षेत्राधिकार** में वयस्क जीवनसाथी को दूसरे तनावग्रस्त जीवनसाथी के साथ रहने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनज़र, पिता से बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में उठाई गई आपत्तियां कानून में टिकाऊ नहीं हैं और इसलिए उन्हें खारिज किया जाता है।

इसलिए, याचिका की स्थिरता के संबंध में पहली आपत्ति खारिज की जाती है।

15. **याचिका की स्वीकार्यता पर दूसरी आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि यद्यपि** 1890 **के अधिनियम के तहत बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन करने का एक वैकल्पिक उपाय मौजूद है, फिर भी बिना किसी असाधारण परिस्थिति के, इस न्यायालय के समक्ष सीधे याचिका दायर की गई है। यह तर्क दिया गया है कि दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप लगाते हुए उठाए गए विभिन्न तर्क मामले**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

की जड़ तक जाते हैं और यह तय करते हैं कि बच्चे का कल्याण किस ओर है। एक रिट याचिका में केवल संक्षिप्त जाँच ही हो सकती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के लिए इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के बजाय, याचिकाकर्ता को 1890 **के अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार प्राप्त और सक्षम न्यायालय में जाना चाहिए था।**

याचिकाकर्ता की ओर से, इस आपत्ति का मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया गया है कि 1890 **के अधिनियम की धारा** 9 **के तहत आवेदन केवल उस जिला न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर हो जहाँ नाबालिग सामान्यतः रहता है। नाबालिग का सामान्य निवास दुबई में रहा है जहाँ उसका जन्म और पालन-पोषण हुआ, जब तक कि उसकी माँ उसे चुपके से भारत नहीं ले आई। नाबालिग भारत में अपनी माँ के साथ जयपुर में अस्थायी रूप से निवास कर रहा है। इसलिए,** 1890 **के अधिनियम की धारा** 9 **के तहत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।**

उपर्युक्त दलील को समझने और आपत्ति की वैधता की जाँच करने के लिए, 1890 **के अधिनियम की धारा** 9 **में निहित प्रावधानों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा, जिन्हें नीचे तत्काल संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है**:-

"**9.** आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार। -

(1) यदि आवेदन नाबालिग के व्यक्ति की संरक्षता के संबंध में है, तो इसे उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में नाबालिग सामान्यतः निवास करता है।

(2) यदि आवेदन नाबालिग की संपत्ति की संरक्षता के संबंध में है, तो इसे उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में नाबालिग सामान्यतः निवास करता है, या उस जिला न्यायालय में, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसकी संपत्ति है।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

(3) यदि किसी नाबालिग की संपत्ति की संरक्षता के संबंध में कोई आवेदन उस जिला न्यायालय के अलावा किसी अन्य जिला न्यायालय में किया जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में नाबालिग सामान्यतः निवास करता है, तो न्यायालय आवेदन को वापस कर सकता है यदि उसकी राय में आवेदन का निपटारा किसी अन्य अधिकारिता वाले जिला न्यायालय द्वारा अधिक न्यायसंगत या सुविधापूर्वक किया जाएगा।"

1890 के अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि कानून के अनुसार नाबालिग की अभिरक्षा के लिए आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसका अधिकार क्षेत्र उस स्थान पर हो जहाँ नाबालिग सामान्यतः निवास करता है। इसलिए, जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय को प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि बच्चा जयपुर का सामान्य निवासी हो।

16. **मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या** 6 **के नाबालिग बेटे का जन्म** 23.06.2017 **को दुबई में हुआ था। बच्चे के जन्म के समय, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या** 6 **दोनों दुबई में रह रहे थे क्योंकि याचिकाकर्ता दुबई में कार्यरत था। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ दुबई में अस्थायी निवास के दौरान बच्चे का जन्म हुआ हो, अन्यथा माता-पिता भारत में सामान्य निवासी थे। मामले के स्वीकृत तथ्य इससे भिन्न हैं। यहाँ तक कि प्रतिवादी संख्या** 6 **भी इस बात पर विवाद नहीं करती कि उसकी याचिकाकर्ता से शादी हुई थी और फिर वह दुबई चली गई जहाँ याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या** 6 **रहते थे। जून** 2017 **में बच्चे के जन्म के बाद, हालाँकि कुछ मौकों पर माता-पिता भारत आए थे, लेकिन यह केवल भारत घूमने के लिए**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

था, न कि यह कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी संख्या 6 स्थायी रूप से भारत वापस आ गए थे और इस न्यायालय में याचिका दायर करने के समय तक वहाँ रहने के इरादे से रहते थे। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि नाबालिग दुबई में जन्म लेने के बाद भी अपने माता-पिता के साथ दुबई में ही रहता रहा। उसे स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। स्वीकृत तथ्य जो रिकॉर्ड में हैं, वे हैं कि 15.03.2023 को, प्रतिवादी संख्या 6 बच्चे के साथ 08.04.2022 की वापसी टिकट के साथ भारत आई, लेकिन उसके बाद, वह वापस नहीं लौटी, जाहिर है क्योंकि कुछ विवाद सामने आए थे और बाद में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ 23.04.2022 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और एफआईआर दर्ज होने के बाद विवाद और बिगड़ गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2022 में इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की। उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थितियों को रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि नाबालिग 1890 के अधिनियम की धारा 9 में निहित अभिव्यक्ति के अर्थ में जयपुर की सामान्यतः निवासी थी।

17. रुचि माजू बनाम संजीव माजू (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1890 के अधिनियम की धारा 9 में निहित अवयस्क के 'सामान्य निवास' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया, जो इस प्रकार है:-

> **22.** उपर्युक्त कथनों की रोशनी में यह प्रश्न उठता है कि क्या दिल्ली की अदालतों को नाबालिग की अभिरक्षा के लिए याचिका को सुनने का अधिकार है, इसका उत्तर देना होगा।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

23. **संरक्षक और वार्ड अधिनियम**, 1890 **की धारा** 9 **अदालत के क्षेत्राधिकार के संबंध में विशिष्ट प्रावधान करती है कि नाबालिग की अभिरक्षा के लिए दावा करने वाली याचिका को सुन सकती है। धारा** 9(1) **इस अधिनियम की उपधारा** (1) **अदालत की पहचान करती है जो नाबालिग व्यक्ति की अभिरक्षा का आदेश पारित करने के लिए सक्षम है, वहीं उपधाराएं** (2) **और** (3) **उन अदालतों से संबंधित हैं जिन्हें नाबालिग की संपत्ति पर संरक्षक के लिए संपर्क किया जा सकता है। हमारे उद्देश्य के लिए केवल धारा** 9(1) **ही प्रासंगिक है।**

> *":9. याचिका सुनने का अधिकार रखने वाली अदालत*
> -(1) **यदि याचिका नाबालिग की संपत्ति के संरक्षण के संबंध में है, तो जिला अदालत से संपर्क किया जाएगा, जिस क्षेत्र में नाबालिग सामान्य रूप से निवास करता है।"**

24. उपर्युक्त का सरलीकृत वाचन यह स्पष्ट करता है कि धारा 9 **के तहत अदालत के क्षेत्राधिकार के निर्धारण के लिए एकमात्र परीक्षण है: नाबालिग का 'सामान्य निवास स्थान'। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द है "जहाँ नाबालिग सामान्य रूप से निवास करता है"। अब, क्या नाबालिग किसी स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहा है, यह मूलतः एक इरादे का प्रश्न है जो अंततः तथ्य का प्रश्न बन जाता है। यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो सकता है, किंतु जब तक क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य स्वीकार नहीं किए जाते, तब तक यह कभी भी शुद्ध विधि का प्रश्न नहीं हो सकता, जिसे बिना तथ्यात्मक विवाद के गुणात्मक जांच के उत्तर नहीं दिया जा सकता।**

यह कहा गया है कि जब तक अधिकार क्षेत्र से संबंधित तथ्यों को स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक यह केवल कानून का प्रश्न नहीं हो सकता, जिसे विवाद के तथ्यों की जांच किए बिना सुलझाया जा सके। उपर्युक्त कथन इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्या कोई नाबालिग किसी विशेष स्थान पर सामान्यतः निवास करता है, यह मुख्यतः मंशा का प्रश्न है, जो कि एक तथ्य का प्रश्न है और यह अधिकतम कानून तथा तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो सकता है। आगे यह कहा गया है कि जब तक अधिकार क्षेत्र के

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

तथ्य स्वीकार नहीं किए जाते, तब तक यह केवल कानून का प्रश्न, जिसे विवाद के तथ्यों की जांच किए बिना सुलझाया जा सके, नहीं हो सकता। इसके उपरांत, "सामान्य रूप से निवास करना" शब्द का शब्दकोश अर्थ तथा पूर्ववर्ती निर्णयों में की गई व्याख्या के संदर्भ में विश्लेषण किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

26. हम इससे पहले धारा 9(1) **(उपर्युक्त) में प्रयुक्त "सामान्यतः निवासी") शब्दावली का वास्तविक उद्देश्य देख सकते हैं। इस अभिव्यक्ति का उपयोग विभिन्न संदर्भों और अधिनियमों में किया गया है और यह अक्सर व्याख्या हेतु सामने आई है। चूँकि उदार व्याख्या व्याख्या का पहला और मुख्य नियम है, अतः यह उपयोगी होगा कि उस अभिव्यक्ति के दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ समझा जाए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में "साधारण" शब्द में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:**

> **"साधारण (विशेषण): नियमित, सामान्य, सामान्यतः घटित होने वाला, स्थापित व्यवस्था के अनुसार, निश्चित, प्रचलित, उचित; असामान्य परिस्थितियों से रहित; किसी सामान्य या औसत व्यक्ति का लक्षण।"**
>
> **"रेज़ाइड" शब्द को इसी प्रकार बताया गया है:**
>
> "रेज़ाइड: **रहना, निवास करना, ठहरना, वास करना, ठहराव/स्थिति बनाए रखना, किसी स्थान पर स्थापित या वस्तु को टिकाना, किसी स्थान पर स्थायी या लगातार रहना, किसी काल के लिए स्थायी निवास स्थान रखना, निवास या अधिवास रखना; विशेष रूप से निवास में होना; निवास स्थान रखना, जैसे कि कोई विशेष स्थान किसी का घर हो; किसी तत्व के रूप में उपस्थित रहना, किसी गुण का होना, अधिकार के रूप में निहित होना।" (बोडेन बनाम जेन्सन,** 359 **एसडब्लू** 2**डी** 343 **(मो बैंक** 1962**), एसडब्लू** 2**डी पृ.** 349)"

27. वेबस्टर्स शब्दकोष में भी 'निवास' शब्द का समान अर्थ मिलता है, जिसे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है:

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

"1. किसी स्थान पर काफी समय तक रहना; अपने घर बनाना; रहना। 2. किसी गुण या विशेषता के रूप में उसमें विद्यमान होना। 3. उसमें निहित होना।"

28. एनी बेसेंट बनाम जी. नारायणैया, एआईआर 1914 पीसी 41 में, नाबालिगों का निवास मद्रास प्रेसिडेंसी के चिंगलपट जिले में था। उन्हें शिक्षा हेतु श्रीमती एनी बेसेंट की अभिरक्षा में दिया गया था और वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि, चिंगलपट की जिला अदालत में अभिरक्षा के लिए एक मामला दायर किया गया, जिसमें वादी के अनुसार, नाबालिगों का स्थायी निवास वहीं था। इस आधार पर आग्रह किया गया कि चिंगलपट अदालत को आवेदन सुनने का अधिकार है। इसे दोहराते हुए, प्रवी काउंसिल के लॉर्डशिप्स ने टिप्पणी की: (आईए पृ.322)

"...जिस जिला न्यायालय में वाद दायर किया गया था, उसे नाबालिगों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, सिवाय उस अधिकार क्षेत्र के जो कि गार्जियंस एंड वार्ड्स अधिनियम, 1890 द्वारा प्रदान किया गया था।"

इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल उन्हीं नाबालिगों तक सीमित है जो उस जिले में सामान्यतः निवास करते हों। उनके लॉर्डशिप्स की राय में, यह मानना असंभव है कि वे नाबालिग, जो कई माह पूर्व भारत छोड़कर इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने और विश्वविद्यालय जाने के लिए गए हों, उन्होंने चिंगलपट जिले में अपना सामान्य निवास प्राप्त कर लिया था।

29. *जागीर कौर एवं अन्य बनाम जसवंत सिंह, एआईआर* 1963 एससी 1521 में, यह न्यायालय धारा 488 सीआरपीसी के तहत एक मामले और भरण-पोषण के लिए एक याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार कर रहा था। न्यायालय ने इस बात पर लगभग एकमतता देखी कि इस प्रावधान में प्रयुक्त "निवास" शब्द का क्या अर्थ है और यह माना कि "निवास" का तात्पर्य किसी विशेष स्थान पर अचानक आने-जाने या आकस्मिक प्रवास से कहीं

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

अधिक है। कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया गया: (एआईआर पृष्ठ 1524, अनुच्छेद 8)

> "8. .... प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, प्रयुक्त शब्दों में निहित अर्थ, और निर्णीत मामलों द्वारा उस पर की गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, हम "निवास" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करेंगे: एक व्यक्ति किसी स्थान पर निवास करता है यदि वह अपनी इच्छा से उसे अपना निवास स्थान बनाता है स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भी; किसी व्यक्ति ने किसी विशेष स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का विकल्प चुना है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।"

30. *कुलदीप नायर बनाम भारत संघ एवं अन्य* 2006 (7) एससीसी 1 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में प्रयुक्त "सामान्य निवास" शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस न्यायालय ने टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 96, पैरा 243-46)

> "243. लेक्सिकन सिकट बनाम सफ़ोक काउंटी काउंसिल (1980) 3 ऑल ईआर 689 (डीसी) का उल्लेख करता है, जिसमें बताया गया है कि "आम तौर पर"शब्द का उद्देश्य मुख्य रूप से अवधि नहीं बल्कि उद्देश्य होता है। इस संदर्भ में प्रश्न यह नहीं है कि व्यक्ति कहाँ पर "आम तौर पर" मिलता है, जो कि सामान्यतः या नियमित रूप से, और कुछ हद तक निरंतरता के साथ होता है, बल्कि यह कि निवास की गुणवत्ता "आम तौर पर" है या नहीं, सामान्य रूप में, बजाय कि किसी विशेष या सीमित उद्देश्य के लिए।
>
> 244. "आम तौर पर" और "निवासी" शब्दों का अन्य सांविधिक प्रावधानों में भी एक साथ उपयोग किया गया है तथा कानून लेक्सिकन के अनुसार इन्हें इस प्रकार नहीं समझा गया है कि व्यक्ति हमेशा निवासी हो या उस विशेष स्थान पर व्यवसाय करता हो।
>
> 245. इन दोनों शब्दों को मिलाकर किए गए प्रयोग की व्याख्या प्रावधान के उद्देश्य के संदर्भ में की जानी चाहिए, जैसा कि आर.पी अधिनियम, 1950 की धारा

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

20 में दिया गया है, इसमें वह दिन आवश्यक है जिस दिन कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का प्रयास करता है।

246. इसलिए, निवास एक अवधारणा है जो क्षणिक भी हो सकती है। "आम तौर पर" शब्द द्वारा योग्यता प्राप्त होने पर भी "निवासी" शब्द का प्रभाव इस प्रकार की व्याख्या का कारण नहीं बनेगा कि व्यक्ति को हमेशा या स्थायी रूप से उस विशेष स्थान पर निवास करना आवश्यक हो। अतः, यदि इस प्रकार समझा जाए, तो भी किसी व्यक्ति के "आम तौर पर निवासी" होने की आवश्यकता उस विशेष स्थान और व्यक्ति के बीच कड़ी स्थापित करने में असमर्थ है।

31. *भाग्यलक्ष्मी बनाम के. नारायण राव एआईआर 1983 मैड 9, अपर्णा बनर्जी बनाम तपन बनर्जी, एआईआर 1986 पी एंड एच 113, राम सरूप बनाम चिम्मन लाल*, एआईआर 1952 सभी 79, *विमला देवी बनाम माया देवी*, एआईआर 1981 राज का उल्लेख किया जा सकता है। 211 तथा गियोवन्नी मार्को मुज्जू (डॉ.), एआईआर 1983 बोम 242 में, उच्च न्यायालयों ने "आम निवासी" (साधारण निवासी) और "आम विशेष रूप से निवास करता है" (आमतौर पर निवास करता है) जैसे शब्दों के अर्थ और उद्देश्य के बारे में विचार किया है और यह राय है कि किसी विशेष स्थान पर कोई व्यक्ति आम तौर पर निवास कर रहा है या नहीं, यह उस स्थान पर बहुत अधिक निवास करता है। अपना सामान्य निवास स्थान बनाना उसका उद्देश्य है या नहीं।"

इसके बाद मामले के तथ्यों की जांच की गई। तथ्यों के आधार पर पाया गया कि पक्षकारों के बीच लिखित समझौता हुआ था, हालांकि आरोप था कि वह समझौता दबाव/दबाव से कराया गया था, जिसके तहत बच्चे को अमेरिका से भारत लाने का प्रावधान किया गया था। इसे पक्षकारों की मंशा के रूप में माना गया कि वे बच्चे के सामान्य निवास स्थान को स्थायी रूप से अमेरिका से भारत स्थानांतरित करना चाहते थे। तथ्यों के आधार पर यह माना गया कि इस आवेदन को दिल्ली न्यायालय के समक्ष विचारणीय

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

माना जाएगा। अतः, पक्षकारों की लिखित समझौते के माध्यम से व्यक्त की गई मंशा को यह माना गया कि बच्चे का अमेरिका से भारत ले जाना, उसके सामान्य निवास स्थान के स्थायी रूप से स्थानांतरित किए जाने के रूप में स्वीकार किया गया।

18. **लहरी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली (सुप्रा) के मामले में, अभिव्यक्ति "क्या नाबालिग सामान्यतः निवास करता है" की व्याख्या की गई। उस मामले के तथ्य यह थे कि माँ अपने मास्टर्स के लिए अमेरिका गई थीं, लेकिन वहीं काम करना शुरू कर दिया। पिता भी अमेरिका गए और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत हो गए। बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक थे, उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट थे। पक्षकारों ने वहाँ घर भी खरीदा था और बेटा तथा बेटी स्कूल में पढ़ रहे थे। अतः, बच्चे जन्म से ही अमेरिका में थे। हालांकि, माता-पिता के बीच संबंध इतने तनावपूर्ण हो गए कि माँ ने अमेरिका की अदालत में याचिका दायर की। तलाक के साथ-साथ नाबालिग बच्चों की कस्टडी भी। अदालती कार्यवाही में एक आदेश पारित किया गया जिसमें दोनों पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे बच्चों के निवास स्थान में कोई बदलाव न करें जिससे दूसरे पक्ष की कस्टोडियल अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित हो। कार्यवाही के दौरान, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण, माँ दोनों नाबालिग बच्चों के साथ भारत चली गई, लेकिन वापस लौटने के बजाय, उसने हैदराबाद स्थित पारिवारिक न्यायालय में नाबालिग बच्चों की कस्टडी और पिता के खिलाफ 1890 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। बाद में, उसने पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई। पिता ने आदेश 7, नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि हैदराबाद स्थित पारिवारिक न्यायालय को नाबालिग बच्चों की कस्टडी के आवेदन पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे हैदराबाद के सामान्य निवासी नहीं हैं। हालाँकि, इसे खारिज कर दिया गया। साथ ही, पिता ने सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका भी दायर की। पारिवारिक न्यायालय के आदेश**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

के विरुद्ध अपील और रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने एक साथ मिलाकर निर्णय दिया कि हैदराबाद स्थित पारिवारिक न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि बच्चे सामान्यतः पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहते हैं जैसा कि 1890 के अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रावधान किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिलेखों में दर्ज स्पष्ट तथ्यों पर गौर किया जिनसे स्पष्ट रूप से पता चला कि दोनों पक्ष अमेरिका में रह रहे थे हालाँकि विवाह हैदराबाद में हुआ था और कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे अमेरिकी नागरिक बन गए, अतः निम्नलिखित टिप्पणी की गई:-

> "30. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पक्षकार 2004-2005 से अमेरिका में रह रहे थे और उनकी शादी 14-3-2008 को हैदराबाद में हुई थी। दोनों बच्चे 14-03-2012 और 13-10-2014 को अमेरिका में पैदा हुए थे और वे अमेरिकी पासपोर्ट वाले अमेरिकी नागरिक हैं। विशेष रूप से, अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) ने 21-12-2016 को अमेरिकी न्यायालय में तलाक और नाबालिग बच्चों की हिरासत के लिए आवेदन दायर किया और 21-12-2016 को अमेरिकी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। उस अंतरिम आदेश के बावजूद, अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) 23-03-2017 को भारत आई और भारत आने के 20 दिनों के भीतर, 12-04-2017 को हैदराबाद के पारिवारिक न्यायालय में नाबालिग बच्चों की हिरासत के लिए एक आवेदन दायर किया और अमेरिकी न्यायालय में दायर हिरासत के अपने आवेदन को छिपाया। पक्षों के वकील की सुनवाई के बाद अमेरिकी न्यायालय द्वारा 22-05-2017 को उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त तथ्यात्मक आधार पर, यह माना गया कि बच्चे हैदराबाद के सामान्य निवासी नहीं थे जैसा कि 1890 के अधिनियम की धारा 9(1) के तहत परिकल्पित है। आगे यह माना गया:-

> "31. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें उच्च न्यायालय की इस राय को बरकरार रखने में कोई कठिनाई नहीं है कि नाबालिग बच्चे हैदराबाद

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

(भारत) के सामान्य निवासी नहीं थे जैसा कि संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 9(1) के तहत परिकल्पित है। परिणामस्वरूप, हैदराबाद के पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सही रूप से खारिज किया जाता है। साथ ही, जब अमेरिकी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, तो पक्षकार अपीलकर्ता (लहरी सखामुरी) के कहने पर अमेरिकी न्यायालय के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही की अवहेलना नहीं कर सकते, जिन्हें उन कार्यवाहियों में भाग लेना चाहिए था।"

निष्कर्ष के समर्थन में, सर्वोच्च न्यायालय में उनके माननीय न्यायाधीशों ने श्रीमती के मामले में अपने पूर्व निर्णय का हवाला दिया। सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्श सिंह संधू और अन्य (1984) 3 सर्वोच्च न्यायालय मामले 698, जो इस प्रकार है:-

"34. सुरिंदर कौर संधू मामले (सुप्रा) में यह न्यायालय एक बच्चे की हिरासत से संबंधित था जो जन्म से ब्रिटिश नागरिक था और जिसके माता-पिता विवाह के बाद इंग्लैंड में बस गए थे। पति ने बच्चे को घर से निकाल दिया और उसे भारत लाया गया। पत्नी ने ब्रिटेन की अदालत से एक न्यायिक आदेश प्राप्त किया जिसके तहत पति को बच्चे की हिरासत उसे सौंपने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश की बाद में इंग्लैंड की अदालत ने पुष्टि की और उसके बाद पत्नी भारत आई और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें बच्चे की हिरासत और उसे पेश करने की प्रार्थना की गई, जिसे खारिज कर दिया गया जिसके खिलाफ पत्नी ने इस न्यायालय में अपील की। इस न्यायालय ने 'बच्चे के कल्याण', 'न्यायालय की गरिमा' और 'राज्य के अधिकार क्षेत्र, जिसका मामले में उठने वाले मुद्दों से सबसे घनिष्ठ संबंध है' को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय दिया:

"10. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि पति-पत्नी ने इंग्लैंड में अपना वैवाहिक घर बसाया था जहाँ पत्नी एक क्लर्क के रूप में और पति एक बस चालक

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

के रूप में काम कर रहा था। लड़का एक ब्रिटिश नागरिक है, इंग्लैंड में पैदा हुआ है, और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन परिस्थितियों में, अंग्रेजी न्यायालय के पास उसकी हिरासत के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार था। कानूनों के टकराव का आधुनिक सिद्धांत उस राज्य के अधिकार क्षेत्र को मान्यता देता है और, किसी भी स्थिति में, उसे प्राथमिकता देता है जिसका मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों से सबसे घनिष्ठ संपर्क होता है। अधिकार क्षेत्र ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के संचालन या निर्माण से आकर्षित नहीं होता है जैसे कि वह परिस्थिति जहाँ वह बच्चा, जिसकी हिरासत का मुद्दा है, लाया गया है या फिलहाल रखा गया है। ऐसी परिस्थितियों में किसी अन्य राज्य द्वारा अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने की अनुमति देने से केवल फोरम-शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा। सामान्यतः, अधिकार क्षेत्र को कार्यात्मक रेखाओं का पालन करना चाहिए। अर्थात् उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि विवाह और हिरासत से संबंधित मामलों में, उस स्थान का कानून लागू होना चाहिए जिसका पति-पत्नी और संतान के कल्याण से सबसे अधिक संबंध हो। इस मामले में पति-पत्नी ने इंग्लैंड को अपना घर बनाया था जहाँ उनके यहाँ यह लड़का पैदा हुआ था। पिता उसे वैवाहिक घर की सामान्य आवाजाही के दौरान नहीं, बल्कि उस घर की शांति के लिए गंभीर रूप से हानिकारक कार्य करके भारत ले जाकर, उसकी हिरासत का फैसला करने के अंग्रेजी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं कर सकता। यह तथ्य कि पति-पत्नी का वैवाहिक घर इंग्लैंड में था, उस राज्य के साथ पर्याप्त संपर्क या संबंध स्थापित करता है जिससे उस राज्य की अदालतों के लिए पति-पत्नी द्वारा वहाँ किए गए दायित्वों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करना उचित और न्यायसंगत हो जाता है। (देखें इंटरनेशनल शू कंपनी बनाम वाशिंगटन राज्य 1945 एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी 158: [90 एल एड 95 (1945) : 326 यूएस 310], जो एक वैवाहिक मामला नहीं था, लेकिन जिसे इस मामले में शामिल क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों के बाद के विकास का स्रोत माना जाता है।) यह हमारा कर्तव्य और कार्य है कि हम पत्नी को एक असुविधाजनक मंच में मुकदमा करने के बोझ से बचाएँ,

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

जिसे उसने और उसके पति ने स्वेच्छा से छोड़ दिया था ताकि वे इंग्लैंड में अपना जीवन यापन कर सकें, जहाँ उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण लड़के को जन्म दिया।"

19. **भाग्यलक्ष्मी एवं अन्य बनाम के. नारायण राव (सुप्रा) के मामले में,** 1890 **के अधिनियम की धारा** 9(1) **में "सामान्यतः निवास करता है" पद मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। यह माना गया कि ये शब्द एक नियमित, सामान्य या स्थायी घर का बोध कराते हैं, न कि किसी अस्थायी या जबरन घर का, जहाँ किसी नाबालिग को चुपके से या मजबूरी में ले जाया गया हो।** 1890 **के अधिनियम के तहत याचिका दायर करते समय निवास स्थान यह पता लगाने में मदद नहीं करता है कि किसी विशेष न्यायालय के पास कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि नाबालिगों को एक स्थान से दूसरे स्थान और परिणामस्वरूप एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में ले जाने मात्र से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही को रोकना आसान होगा। किसी स्थान पर अस्थायी निवास या मजबूरी में निवास, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, सामान्य निवास के बराबर नहीं माना जा सकता या उसे सामान्य निवास स्थान नहीं माना जा सकता। मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त विचार की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने भी** रुचि माजू बनाम संजीव माजू (सुप्रा) **मामले में की थी।**

20. **वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ प्रतिवादी संख्या** 6 **ने यह साबित करने की कोशिश की है कि उसका और उसके पति, याचिकाकर्ता का दुबई में अस्थायी निवास का इरादा था या किसी मौखिक या लिखित समझौते के तहत वह भारत आ गई थी, नाबालिग के सामान्य निवास स्थान को दुबई से भारत में स्थायी रूप से स्थानांतरित**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

करने के इरादे से। वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहाँ प्रतिवादी संख्या 6 नाबालिग के साथ भारत आई थी वापसी टिकट के साथ, अपने पति को यह आभास देते हुए कि वह वापसी कार्यक्रम के अनुसार बच्चे के साथ वापस आ जाएगी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से वापस नहीं लौटी क्योंकि वह वापस नहीं जाना चाहती थी, बल्कि अपने पति से अलग होना चाहती थी और उसने कुछ आरोपों के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले के तथ्य निश्चित रूप से दर्शाते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ उसने चुपके से बच्चे को अपने साथ ले लिया, बल्कि यह ऐसा मामला है जहाँ उसने अपने पति को यह झूठा आभास देते हुए बच्चे को अपने साथ ले लिया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन यह दबाते हुए कि उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने यह बता दिया कि वह वापस नहीं आएगी और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो उसके लिए बच्चे को हटाना मुश्किल हो जाएगा।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि जयपुर न्यायालय को 1890 के अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता को यह उपाय उपलब्ध नहीं होगा। अतः, दूसरी आपत्ति भी खारिज की जाती है।

22. याचिका की विचारणीयता पर तीसरी आपत्ति इस दलील पर है कि रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी हुई है और इसलिए, विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता और याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज किया जा सकता है। मामले के तथ्य जो सतह पर उभर रहे हैं, वे हैं कि प्रतिवादी संख्या 6 के नाबालिग के साथ 15.03.2023 को भारत आने तक पक्षों के बीच किसी मुकदमेबाजी का कोई इतिहास नहीं है। याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक/पी-23 से पता चलता है कि 08.04.2022 का

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

वापसी टिकट था। याचिकाकर्ता ने यह भी दर्ज किया है कि भारत में रहते हुए, प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने इक्विटास बैंक खाते से 50,000 रुपये निकाले और याचिकाकर्ता से अपनी बहन की शादी में शामिल होने के खर्चों को पूरा करने के लिए और धनराशि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। अनुलग्नक/पी-24 इस कथन का समर्थन करता है। ऐसा लगता है कि यह विवाद अप्रैल महीने में ही सामने आया था जब याचिकाकर्ता के खिलाफ 23.04.2022 को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 498A और 323 के तहत दहेज की मांग, घरेलू और शारीरिक हिंसा और अपराध करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता जयपुर पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 07.06.2022 को भारत आया था। याचिकाकर्ता की दलीलों और दस्तावेजों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने 14.09.2022 को दुबई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 को याचिकाकर्ता को बच्चे का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता भारत आया और 17.09.2022 को वर्तमान रिट याचिका दायर की।

23. यह सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि न्यायालय तक पहुँचने में अत्यधिक देरी बाल हिरासत मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज किए जाने योग्य बना सकती है।

24. कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि बच्चे को उसके मूल राज्य से निकाल दिया गया है और इस आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने के लिए रिट अदालत से अनुमति मांगता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी।

25. नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, यह माना गया है कि संक्षिप्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए और इस राय का होना चाहिए कि उसके समक्ष शुरू की गई कार्यवाही निकटतम थी और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाकर उसके क्षेत्रीय

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

क्षेत्राधिकार में लाने के तुरंत बाद दायर की गई थी, और बच्चे ने वहाँ जड़ें नहीं जमाई हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित है, वर्तमान मामले में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने भारत में इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के लिए शीघ्र कदम नहीं उठाए। इसलिए, तीसरी आपत्ति भी खारिज की जाती है।

26. **याचिकाकर्ता का मामला मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि नाबालिग बेटे को उसके मूल देश, यानी दुबई से चुपके से और अवैध रूप से ले जाया गया और याचिकाकर्ता को वंचित करने के लिए भारत लाया गया, जो नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक है, जैसा कि 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रावधान है। प्रतिवादी संख्या 6 के लिए कानूनी रूप से खुला रास्ता यह था कि वह दुबई में अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के समक्ष विस्तृत जांच के माध्यम से बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए मामला दर्ज करे, न कि याचिकाकर्ता को यह धोखा दे कि वह 08.04.2022 की वापसी टिकट के साथ कुछ दिनों के लिए भारत जा रही है। गंभीर आरोपों की विस्तृत जाँच आवश्यक थी, जो केवल दुबई में सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित रूप से स्थापित कार्यवाही में ही की जा सकती थी, जहाँ पक्षकारों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी और यह याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 दोनों के लिए उचित होगा कि उन आरोपों और प्रतिआरोपों की उचित जाँच की जाए और यह उचित निर्णय लिया जाए कि नाबालिग बच्चे का कल्याण कहाँ है और क्या उसकी कस्टडी याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए या प्रतिवादी संख्या 6 को। भारत के न्यायालयों के पास यह अधिकार क्षेत्र नहीं है और रिट याचिका में जाँच संक्षिप्त प्रकृति की होने के**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

कारण, नाबालिग बेटे को दुबई से भारत ले जाना अवैध माना जाना चाहिए। चूँकि याचिकाकर्ता प्राकृतिक अभिभावक है, इसलिए यह दायित्व प्रतिवादी संख्या 6 का है कि याचिकाकर्ता, जो प्राकृतिक अभिभावक है, को बच्चे की अभिरक्षा क्यों नहीं जारी रखनी चाहिए जब तक कि यह साबित न हो जाए कि पिता के पास बच्चे की अभिरक्षा से बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान संक्षिप्त जाँच में भी, बच्चे के कल्याण को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक कारकों को संतुलित करने के बाद, तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर, बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपी जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास बच्चे की अभिरक्षा, बच्चे के समग्र कल्याण के लिए, माँ के पास उसकी अभिरक्षा की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम और अन्य पहलू शामिल हैं। यह भी कहा गया है कि दुबई न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें माँ को बच्चे का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया गया है, जिसका अर्थ है कि माँ के पास बच्चे की अभिरक्षा अवैध है।

27. **याचिकाकर्ता का अपने नाबालिग बेटे की अभिरक्षा का दावा, प्राकृतिक अभिभावक के रूप में वैधानिक वरीयता के आधार पर, जो 1956 के अधिनियम की धारा 6 में निहित है, अन्य प्रासंगिक विचारों के अलावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो नाबालिग के कल्याण के निर्धारण में प्रासंगिक कारक हैं, जो कि सर्वोपरि विचार है। दूसरे शब्दों में, पिता द्वारा नाबालिग की अभिरक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह 1956 के अधिनियम की धारा 6 के**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

तहत हिंदू पिता के रूप में प्राकृतिक अभिभावक है। यह हमेशा नाबालिग के कल्याण के सर्वोपरि विचार के अधीन है और न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह, पैरेन्स पैट्रिया दृष्टिकोण अपनाते हुए, सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करे ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि नाबालिग का कल्याण कहाँ निहित है, चाहे प्राकृतिक अभिभावक कोई भी हो। उपयुक्त मामलों में, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नाबालिग के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नाबालिग के जीवन और अंगों को गंभीर खतरा होगा, नाबालिग की अभिरक्षा उसके प्राकृतिक अभिभावक को सौंपने से, तो न्यायालय केवल इसी कारण से, नाबालिग की अभिरक्षा प्राकृतिक अभिभावक को सौंपने का यंत्रवत् आदेश देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस पहलू पर अनेक निर्णय, जिनमें से कुछ पर नीचे विचार किया गया है, उपरोक्त सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत और पुनः प्रस्तुत करते हैं।

28. **गीता हरिहरन (सुश्री) एवं अन्य बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में,** 1956 **के अधिनियम की धारा** 6(ए) **की संवैधानिक वैधता को चुनौती की जाँच करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद** 14 **और** 15 **के कथित उल्लंघन के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय में उनके माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत की:-**

"ए.एस. आनंद, मुख्य न्यायाधीश और एम. श्रीनिवासन, न्यायमूर्ति के अनुसार"

> **7. एच एम जी अधिनियम की धारा** 4(सी) **में** *"प्राकृतिक अभिभावक"* **की परिभाषा धारा** 6 **(सुप्रा) में उल्लिखित किसी भी** *अभिभावक* **के रूप में की गई है। एचएमजी अधिनियम की धारा** 4(बी) **में "संरक्षक" शब्द की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या दोनों,**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

उसके शरीर और संपत्ति की देखभाल करता है, और इसमें अन्य लोगों के अलावा एक प्राकृतिक अभिभावक भी शामिल है। इस प्रकार, यह देखा गया है कि *"संरक्षक"* और *"प्राकृतिक अभिभावक"* की परिभाषा माँ के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है और वह धारा 6 में उल्लिखित अभिभावकों में से एक होने के नाते निस्संदेह धारा 4(सी) में परिभाषित एक प्राकृतिक अभिभावक होगी। एकमात्र प्रावधान जिस पर अपवाद लिया जाता है वह धारा 6(ए) में पाया जाता है जिसमें लिखा है "पिता, और उसके बाद, माँ"। (जोर हमारा) यह वाक्यांश, सरसरी तौर पर पढ़ने पर, यह धारणा देता है कि माँ को पिता के जीवनकाल के बाद ही नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना जा सकता है। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए रुख का आधार भी यही है। इसमें कोई विवाद नहीं है और यह भी सर्वमान्य है कि नाबालिग का कल्याण व्यापक अर्थों में सर्वोपरि है और यहाँ तक कि पिता के जीवनकाल में भी, यदि आवश्यक हो, तो उसे न्यायालय के आदेश द्वारा माँ या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जहाँ ऐसा करना नाबालिग के कल्याण के हित में हो।

8. जब भी किसी नाबालिग की संरक्षकता से संबंधित कोई विवाद, नाबालिग के पिता और माता के बीच किसी न्यायालय में उठाया जाता है, तो धारा में 'बाद' शब्द का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय मुख्य रूप से नाबालिग के सर्वोत्तम हितों और व्यापक अर्थों में उसके कल्याण से संबंधित होता है, नाबालिग की हिरासत और संरक्षकता से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करते समय। हालाँकि, यह प्रश्न तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब माँ, पिता के जीवनकाल के दौरान नाबालिग की संरक्षक के रूप में कार्य करती है, बिना मामला न्यायालय में जाए, और ऐसी कार्रवाई की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह धारा 6(ए) (सुप्रा) के अनुसार नाबालिग की कानूनी संरक्षक नहीं है। वर्तमान मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक ने माँ के अधिकार पर प्रश्न उठाया है, भले ही उसने पिता की सहमति से कार्य किया हो, क्योंकि उसकी राय में वह केवल पिता के जीवनकाल के बाद ही संरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है, न कि उसके जीवनकाल के दौरान।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

10. **हमारा विचार है कि धारा 6(ए) *(सुप्रा)* ऐसी व्याख्या करने में सक्षम है जो इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर बनाए रखेगी। 'बाद' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से 'जीवनकाल के बाद' नहीं है। जिस संदर्भ में यह धारा 6(ए) *(सुप्रा)* में आता है, उसका अर्थ है 'अनुपस्थिति में', इसमें 'अनुपस्थिति' शब्द किसी भी कारण से नाबालिग की संपत्ति या व्यक्ति की देखभाल से पिता की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। यदि पिता नाबालिग के मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, भले ही वह माँ के साथ रह रहा हो या यदि पिता और माँ के बीच आपसी समझ के कारण, माता को नाबालिग की पूरी तरह से देखभाल की ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो, या यदि पिता नाबालिग की देखभाल करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो, या तो इसलिए कि वह उस जगह से दूर रहता है जहाँ माँ और नाबालिग रहते हैं या अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण, ऐसी सभी स्थितियों में, पिता को अनुपस्थित माना जा सकता है और माँ एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, नाबालिग की ओर से अभिभावक के रूप में वैध रूप से कार्य कर सकती है। ऐसी व्याख्या एचएमजी अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण का स्वाभाविक परिणाम होगी, बिना धारा 6(ए) (सुप्रा) की भाषा का उल्लंघन किए।**

"प्रति उमेश सी. बनर्जी, जे."

40. 1956 **के अधिनियम का संपूर्ण उद्देश्य बच्चे के कल्याण की रक्षा करना है और इस प्रकार व्याख्या, क़ानून को क़ानून-पुस्तक में शामिल करने की विधायी मंशा के अनुरूप होनी चाहिए, न कि उससे विपरीत और इसी दृष्टिकोण से धारा 6(क) में प्रयुक्त 'बाद' शब्द की व्याख्या की जानी चाहिए। अब यह एक स्थापित कानून है कि संवैधानिक आदेश के विपरीत चलने वाली संकीर्ण व्याख्या से हमेशा बचना चाहिए, जब तक कि वह व्याख्या विधायी मंशा से पूरी तरह से अलग न हो जाए, जिस स्थिति में प्रासंगिक तथ्यों के संदर्भ में व्यापक बहस हो सकती है।**

44. **जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 4(ग) में 'प्राकृतिक अभिभावक' शब्द का अर्थ** 1956 **के अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित किसी भी अभिभावक से है। यह धारा तीन प्रकार के अभिभावकों का उल्लेख करती है,**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

अर्थात् पिता, माता और विवाहित लड़की के मामले में पति। इसलिए, धारा 4(ग) के साथ धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार पिता और माता प्राकृतिक अभिभावक हैं। संयोगवश, यह ध्यान देने योग्य है कि क़ानून की व्याख्या के मामले में, परिभाषा धारा के अनुसार क़ानून द्वारा प्रयुक्त शब्द का वही अर्थ लिया जाना चाहिए। यदि परिभाषा अनुभाग में 'संरक्षक' शब्द का अर्थ और निहितार्थ दोनों माता-पिता हैं, तो धारा 6(क) में वर्णित शब्द का भी यही अर्थ लिया जाना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में, माता का अभिभावक के रूप में कार्य करने का अधिकार पिता के जीवनकाल में समाप्त नहीं होता है और इसे क़ानून में पढ़ना विधायी उद्देश्य से हिंसक विचलन के समान होगा। धारा 6(क) स्वयं यह स्वीकार करती है कि पिता और माता दोनों को स्वाभाविक अभिभावक माना जाना चाहिए और इसलिए 'बाद' शब्द को इस तरह से पढ़ा और व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि विधायिका का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो।

46. **हमारी राय में, 'बाद' शब्द को ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो स्थिति की आवश्यकता को पूरा करे, अर्थात, नाबालिग का कल्याण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अदालतें कानून को अमान्य घोषित करने के बजाय उसे बरकरार रखने का प्रयास करती हैं, हम यह दर्ज करना उचित समझते हैं कि 'बाद' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से पिता की मृत्यु के बाद नहीं है, इसके विपरीत, यह एक ऐसा आशय दर्शाता है जिससे इसका अर्थ 'की अनुपस्थिति में' लगाया जा सके - चाहे वह अस्थायी हो या अन्यथा या बच्चे के प्रति पिता की पूर्ण उदासीनता या यहाँ तक कि बीमारी या अन्यथा के कारण पिता की असमर्थता और यह केवल तभी संभव है जब धारा 6 में प्रयुक्त 'बाद' शब्द को ऐसा अर्थ दिया जाए, तब और उस स्थिति में, यह कानून के आशय के अनुसार होगा, अर्थात, बच्चे का कल्याण।"**

29. गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल **(**सुप्रा**) मामले में**, 1956 **के अधिनियम की धारा** 6**(**ए**) के तहत वैधानिक अधिकारों पर बाल कल्याण की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से इस प्रकार बताई गई थी**:-

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

"43. **नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित सिद्धांत सुनिश्चित हैं। यह तय करते समय कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचार 'बच्चे का कल्याण' है, न कि वर्तमान में लागू किसी क़ानून के तहत माता-पिता के अधिकार।**

44. **उपरोक्त वैधानिक प्रावधान भारत में कई मामलों में न्यायालयों के समक्ष विचारार्थ आए हैं। आइए कुछ ऐसे निर्णयों पर विचार करें जिनमें न्यायालयों ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों को उनके हित और कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए लागू किया है।**

46. ***रोज़ी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल,*** *(1973) 1* ***एससीसी*** *840* **में, इस न्यायालय ने माना कि** 1890 **के अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन केवल नाबालिग की शारीरिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि प्रतिपालक के स्वास्थ्य, भरण-पोषण और शिक्षा के अधिकारों का समुचित संरक्षण है। अधिनियम के तहत न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य नाबालिग का कल्याण है। नाबालिग के कल्याण के प्रश्न पर विचार करते समय, प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार को उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि पिता की अभिरक्षा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा नहीं दे सकती है, तो उसे ऐसी अभिभावकता से वंचित किया जा सकता है।**

49. **सुरिंदर कौर संधू बनाम हरबक्श सिंह संधू,** (1984) 3 **एससीसी** 698 **में, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा** 6 **पिता को नाबालिग पुत्र का स्वाभाविक अभिभावक बनाती है। लेकिन यह प्रावधान इस सर्वोपरि विचार को दरकिनार नहीं कर सकता कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है। [यह भी देखें एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ,** (1987) 1 **एससीसी** 42 **और चंद्रकला मेनन बनाम विपिन मेनन (कैप्टन),** (1993) 2 **एससीसी** 6]**।"**

30. रॉक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा **(**सुप्रा**) के मामले में एक अन्य निर्णय में,** 1956 **के अधिनियम के तहत माता-पिता के वैधानिक अधिकारों पर नाबालिग के कल्याण की प्राथमिकता के सिद्धांत और** 1956 **के अधिनियम की धारा** 6 **(ए) में निहित प्रावधानों को इस प्रकार समझाया गया था:-**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

"10. **एचएमजी अधिनियम की धारा 6 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह धारा 4(बी) को दोहराती है और पुनः स्पष्ट करती है कि संरक्षकता नाबालिग के व्यक्ति और उसकी संपत्ति दोनों को कवर करती है; और फिर विवादास्पद रूप से कहती है कि पिता और उसके बाद माता एक हिंदू की स्वाभाविक संरक्षक होगी। ऐसा कहने के बाद, यह तुरंत प्रावधान करती है कि 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा सामान्यतः माँ के पास होगी। परंतुक के महत्व और व्यापकता को इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और बहुत संक्षेप में कहा गया है कि, एक परंतुक उस अपवाद की प्रकृति का होता है जो पहले सामान्यतः निर्धारित किया गया था। "सामान्यतः" शब्द के प्रयोग पर अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। यह माता के पक्ष में एक धारणा, यद्यपि खंडनीय, निर्धारित करता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने "सामान्यतः" शब्द के प्रयोग के महत्व को नज़रअंदाज़ कर दिया है, जैसा कि उन्होंने अनुच्छेद में कहा है। विवादित आदेश की धारा 13 में कहा गया है कि माँ ने थलबीर की अंतरिम हिरासत के लिए अपनी उपयुक्तता साबित नहीं की है, जो उस समय एक शिशु था। प्रावधान पिता पर यह साबित करने का दायित्व डालता है कि शिशु को उसकी माँ की हिरासत में रखना उसके कल्याण में नहीं है। संसद या विधानमंडल की बुद्धिमत्ता को ऐसी अतार्किक व्याख्या से कम नहीं किया जाना चाहिए जो अधिनियम की मूल भावना को ही निष्प्रभावी कर दे।**

13. **एचएमजी अधिनियम यह मानता है कि किसी शिशु या कम उम्र के बच्चे की कस्टडी उसकी माँ को दी जानी चाहिए, जब तक कि पिता ऐसे ठोस कारण न बताए जो यह दर्शाते हों कि अगर कस्टडी माँ के पास रहती है तो बच्चे के कल्याण और हित की आजीविका कमज़ोर या ख़तरे में पड़ सकती है। इसलिए, एचएमजी अधिनियम की धारा 6(ए) पिता के नाबालिग बच्चे की संपत्ति का संरक्षक होने के अधिकार को सुरक्षित रखती है, लेकिन जब तक बच्चा पाँच साल से कम उम्र का है, तब तक वह अपने व्यक्ति का संरक्षक नहीं हो सकता। यह संरक्षकता के विपरीत, अंतरिम कस्टडी का अपवाद प्रदान करता है और फिर निर्दिष्ट करता है कि जब तक बच्चा पाँच साल से कम उम्र का है, तब तक कस्टडी माँ को दी जानी चाहिए। हमें तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि यह धारा या इस मामले में कोई अन्य प्रावधान, जिसमें जी एंड डब्ल्यू अधिनियम में निहित**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

प्रावधान भी शामिल हैं, माँ को बच्चे की संरक्षण के लिए अयोग्य नहीं ठहराता, भले ही वह पाँच वर्ष की आयु पार कर चुका हो।

31. तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य **(**सुप्रा**) के मामले में, ऊपर बताए गए और पुनः बताए गए सिद्धांतों को निम्नानुसार ठोस रूप दिया गया है**:

"नाबालिग बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है

26. **बाल हिरासत के मामलों का फैसला करते समय न्यायालय केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं होता। हालाँकि विशेष क़ानूनों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित मामलों में नाबालिग का कल्याण सर्वोच्च विचारणीय है। न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचारणीय विषय बच्चे का हित और कल्याण होना चाहिए।**

27. **कई निर्णयों का उल्लेख करने और यह टिप्पणी करने के बाद कि बाल हिरासत के मामलों से निपटते समय, सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण पर होना चाहिए और बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू,** (2008) 9 **एससीसी** 143 **में, यह निम्नानुसार माना गया: (एससीसी पृष्ठ** 427-28, **अनुच्छेद** 49-52)

"49. ***गोवर्धन लाल बनाम गजेंद्र कुमार, एआईआर*** *2002* ***राज*** *148* **में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सत्य है कि पिता नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक होता है और इसलिए उसे अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करने का अधिमान्य अधिकार है, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है न कि किसी विशेष पक्ष का कानूनी अधिकार।** 1956 **के अधिनियम की धारा** 6, **नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल क्या है, इस प्रमुख विचार को अधिरोहित नहीं कर सकती। यह भी देखा गया कि बच्चे के**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

कल्याण को एकमात्र विचार के रूप में ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि बच्चे की इच्छा का पता लगाया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहता है।

50. **पुनः,** ***एम.के. हरि गोविंदन बनाम ए.आर. राजाराम, एआईआर*** *2003* ***मैड*** *315* **में, न्यायालय ने माना कि हिरासत के मामलों का निर्णय दस्तावेजों, मौखिक साक्ष्यों या उदाहरणों के आधार पर "मानवीय स्पर्श" के संदर्भ के बिना नहीं किया जा सकता। मानवीय स्पर्श नाबालिग के कल्याण के लिए प्राथमिक है क्योंकि अन्य सामग्री या तो पक्षकारों द्वारा स्वयं या वकील की सलाह पर उनकी सुविधा के अनुसार तैयार की जा सकती है।**

51. ***कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,*** **एआईआर** 1987 **हिमाचल प्रदेश** 34 **में, न्यायालय ने कहा: (एससीसी ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश पैरा** 13)

> 13.....**न्यायालय अपने अंतर्निहित और सामान्य अधिकार क्षेत्र में बाल हिरासत के मामलों का फैसला करते समय केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष क़ानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्यायालय को ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले अपने पैरेन्सपैट्रिया अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सके, जिसमें बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य रखरखाव और अनुकूल परिवेश जैसी परिस्थितियों को उचित महत्व दिया जाए। इन मामलों का फैसला अंततः न्यायालय के बच्चे के सर्वोत्तम हित के दृष्टिकोण पर किया जाना चाहिए, जिसके कल्याण के लिए उसे किसी एक माता-पिता या दूसरे की हिरासत में रहना आवश्यक है।'**

52. **हमारे निर्णय में, बच्चे की हिरासत से संबंधित कानून काफी सुस्थापित है और यह इस प्रकार है: किसी नाबालिग की हिरासत से संबंधित कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायालय को**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

> संबंधित क़ानूनों और उनसे प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय स्पर्श से हल किया जाना आवश्यक है। हिरासत के मामलों से निपटते समय न्यायालय न तो क़ानूनों से, न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से और न ही पूर्व उदाहरणों से बाध्य होता है। नाबालिग के लिए उचित अभिभावक का चयन करते समय, सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण और भलाई को होना चाहिए। अभिभावक का चयन करते समय, न्यायालय पैरेन्स पैट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है और उससे अपेक्षा की जाती है, बल्कि बाध्य भी है कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दे। लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के अलावा, नैतिक और नैतिक मूल्यों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ये समान रूप से, या हम कह सकते हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य हैं। यदि नाबालिग अपनी पसंद या निर्णय लेने के लिए पर्याप्त बड़ा है, तो अदालत को ऐसी पसंद पर भी विचार करना चाहिए, हालाँकि अंतिम निर्णय अदालत को ही लेना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।

32. इसलिए, हमारा विचार है कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को पिता होने के नाते प्राकृतिक अभिभावक के रूप में वैधानिक वरीयता प्राप्त है, बच्चे की अभिरक्षा को यंत्रवत् याचिकाकर्ता को वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, बल्कि बच्चे के कल्याण को अभिभावक के वैधानिक अधिकारों से ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बच्चे की अभिरक्षा के ऐसे दावे पर, जिसे क़ानून के तहत घोषित किया गया है, कैसे विचार किया जाना चाहिए, इस पर हमारे बाद के निर्णय में उचित चरण में विचार किया जाएगा।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

33. **वर्तमान मामला एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ एक नाबालिग को उसके मूल राज्य/देश से हटा दिया गया है और फिर भारत लाया गया है, साथ ही यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता, जो अपने संरक्षण में बच्चे को उसके मूल राज्य में वापस लाने का दावा करता है, वह व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाले क़ानून के तहत प्रदान किया गया प्राकृतिक अभिभावक है, जैसे कि वर्तमान मामले में, 1956 के अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत। ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ नाबालिग को उसके मूल राज्य से भारत ले जाया गया था, जबकि उस मामले में बच्चे की हिरासत प्राकृतिक अभिभावक को देने का आदेश था। हमारे सामने उद्धृत उन मामलों में, एक सामान्य सूत्र यह है कि नाबालिग के कल्याण के पहलू को अन्य सभी विचारों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है, चाहे वह प्राकृतिक अभिभावक का अधिकार हो या ऐसा मामला हो जहाँ बच्चे को उसके मूल देश से हटा दिया गया हो और भारत लाया गया हो। न्यायालय का दृष्टिकोण हमेशा माता-पिता के अधिकार के बजाय अधिकार-उन्मुख रहा है, जैसा कि संबंधित पक्षों द्वारा दावा किया गया है, जो नाबालिग के माता-पिता हैं। प्रासंगिक विचार क्या हैं, इस पर भी उन निर्णयों में प्रकाश डाला गया है जो सभी न्यायालयों को ऐसी विशिष्ट जटिल स्थिति से निपटने के लिए प्रकाश प्रदान करते हैं जहाँ माता-पिता अपने मूल देश से भारत लाए गए नाबालिग की हिरासत के दावे पर विवाद कर रहे हैं। जिन मामलों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीधे निपटाया गया है, उनमें रिट न्यायालय द्वारा की जा सकने वाली जाँच की प्रकृति को भी स्पष्ट किया गया है। चूँकि उपरोक्त मुद्दों को एक-दूसरे से जुड़े हुए माना गया था, अब हम उन निर्णयों का सर्वेक्षण करेंगे, लागू व्यापक सिद्धांतों को छाँटेंगे और फिर मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों और**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

परिस्थितियों के आधार पर निपटाने के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि नाबालिग के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए, निश्चित रूप से, पैरेन्स पैट्रिया दृष्टिकोण के साथ, निष्कर्ष निकाला जा सके।

34. धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे **(**सुप्रा**) मामले में अपने पहले के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी के प्रतिद्वंदी दावे पर विचार किया था, जिसमें तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में नाबालिग को उसकी माँ द्वारा विदेशी क्षेत्राधिकार (अमेरिका) से भारत लाया गया था। पिता ने अमेरिका की एक अदालत से बच्चे की कस्टडी की मांग की थी। बच्चे को भारत लाने के बाद, पिता के पक्ष में बच्चे की अस्थायी कस्टडी का एक एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसके बाद पिता को बच्चे की स्थायी कस्टडी देने का एक एकपक्षीय आदेश भी पारित किया गया। नाबालिग को भारत लाने वाली माँ ने न केवल यह घोषणा करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसका विवाह अमान्य है, बल्कि उसने अपने और बच्चे के लिए भरण-पोषण का भी दावा किया। उसने यह घोषणा करने की मांग की कि अमेरिकी अदालत द्वारा पारित तलाक का आदेश उस पर बाध्यकारी नहीं है, और साथ ही अपने पति (बच्चे के पिता) के खिलाफ बच्चे को उससे अलग करने पर रोक लगाने की भी मांग की। इसके बाद पिता ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। रिट याचिका खारिज कर दी गई जिससे माँ को नाबालिग की कस्टडी बरकरार रखने की अनुमति मिल गई और पिता को उससे मिलने का अधिकार मिल गया। माँ ने हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा** 13 **के तहत आवेदन दायर कर अपने नाबालिग बेटे के**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

व्यक्ति/संपत्ति की स्थायी संरक्षकता की मांग की। चूँकि यह एक एकपक्षीय आदेश था, इसलिए उसे बच्चे के व्यक्ति/संपत्ति का स्थायी एवं वैध संरक्षक नियुक्त किया गया। हालाँकि पिता ने इसे रद्द करने के लिए आवेदन किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज कर दी। इस पृष्ठभूमि में, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा और बच्चे की कस्टडी के लिए प्रतिपक्षी दावे की जाँच की गई। यह तर्क दिया गया कि माँ ने बच्चे को अमेरिका से भारत ले जाकर उस देश में पारित न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर 1980 के हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसे इस प्रकार प्रतिपादित किया गया:-

> "33. जहाँ तक गैर-सम्मेलन देशों का संबंध है, या जहाँ निष्कासन, अभिसमय को अपनाने से पहले की अवधि से संबंधित है, वहाँ कानून यह है कि जिस देश में बच्चे को हटाया जाता है, वहाँ का न्यायालय गुण-दोष के आधार पर बच्चे के कल्याण से संबंधित प्रश्न पर सर्वोपरि विचार करेगा और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में विचार करेगा, जैसा कि मैककी बनाम मैककी (1951 एसी 352) में कहा गया है, जब तक कि न्यायालय बच्चे के हित में सारांश क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित न समझे और बच्चे की शीघ्र वापसी उसके कल्याण के लिए हो, जैसा कि एल., रे 1974 (1) ऑल ईआर 193 (सीए) में बताया गया है। हाल ही में 1996-1997 में, पी(ए माइनर) (बाल अपहरण: गैर-सम्मेलन देश), रे (1996) 3 एफसीआर 233, सीए: वार्ड, एल.जे. [1996 करंट लॉ ईयर बुक पृष्ठ. 165-166] कि यह तय करते समय कि किसी बच्चे को उसके निवास के देश से वापस भेजने का आदेश दिया जाए या नहीं - जो हेग कन्वेंशन, 1980 का पक्षकार नहीं था - अदालतों का सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण होना चाहिए। जब तक नुकसान का गंभीर खतरा स्थापित न हो जाए, तब तक न्यायाधीश को बच्चे की वापसी का आदेश

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

देकर कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह ए (नाबालिग) (अपहरण: गैर-कन्वेंशन देश) [रि, द टाइम्स 3-7-97, वार्ड, एल.जे. (सीए) द्वारा (करंट लॉ, अगस्त 1997, पृष्ठ 13 में उद्धृत]। यह बच्चे को अमेरिका से हटाने से संबंधित विवाद का उत्तर देता है।"

35. सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा (सुप्रा) के मामले में, पिता और माता के बीच नाबालिग की अभिरक्षा के प्रतिद्वंदी दावे की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि जब माता-पिता अमेरिका में रह रहे थे, तब पति द्वारा टैक्सस, अमेरिका में विवाह विच्छेद की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें बच्चों की देखभाल और अभिरक्षा तथा मुलाकात के अधिकारों के संबंध में समय-समय पर अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, बच्चों की माँ बच्चों को अमेरिका से लेकर भारत आ गई। अमेरिका की अदालत ने, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि माँ बच्चों के साथ चली गई थी, बच्चों को पिता की देखभाल में रखने का आदेश पारित किया और माँ को केवल मुलाकात का अधिकार दिया गया। इसके बाद, माँ अपने मुलाकात के अधिकारों का प्रयोग करते हुए बच्चों को पिता के निवास से ले गई और न्यायालय के किसी भी अधिकार क्षेत्र वाले आदेश के बिना, वह अमेरिका से भारत भाग गई। अमेरिका में सक्षम न्यायालय ने तलाक का आदेश देते हुए यह भी आदेश पारित किया कि बच्चों की एकमात्र अभिरक्षा

पिता के पास रहेगी और माँ को उनसे मिलने का अधिकार भी नहीं दिया गया। ऐसे तथ्यों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए, पिता ने उच्च न्यायालय में बच्चों की अभिरक्षा की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। मुख्यतः इस आधार पर कि बच्चों को उनकी पत्नी ने अवैध रूप से उनके देश से हटा दिया था और यह वहाँ के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन था। पिता का दावा 1956 के अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उनके अधिमान्य अधिकारों पर भी आधारित था। धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि पूरी तरह से इस तथ्य से निर्देशित होना उचित नहीं होगा कि माँ ने उस देश के

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

न्यायालय के आदेश के बावजूद बच्चों को अमेरिका से हटा दिया था और यह माना गया कि अमेरिकी न्यायालय द्वारा पारित आदेश नाबालिग बच्चों के कल्याण के विचार को दरकिनार नहीं कर सकता। नाबालिग के कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए मामले की जाँच की गई। यह निर्णय इस प्रकार दिया गया:

> **"6. इसलिए, पूरी तरह से इस तथ्य से निर्देशित होना उचित नहीं होगा कि अपीलकर्ता सरिता ने उस देश की अदालत के आदेश के बावजूद बच्चों को अमेरिका से निकाल लिया था। इसी प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अमेरिकी अदालत द्वारा पारित आदेश, एक प्रासंगिक कारक होने के बावजूद, नाबालिग बच्चों के कल्याण के विचार को दरकिनार नहीं कर सकता। हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका में प्रतिवादी सुशील अपनी लगभग 80 वर्षीय माँ के साथ रह रहे हैं। परिवार में और कोई नहीं है। प्रतिवादी को अत्यधिक शराब पीने की आदत प्रतीत होती है। हालाँकि यह सच है कि दोनों बच्चों के पास अमेरिकी नागरिकता है और संभावना है कि अमेरिका में उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, लेकिन यह संदिग्ध है कि क्या प्रतिवादी इतने छोटे बच्चों की उचित देखभाल कर पाएगा। उनमें से एक लड़की है। वह लगभग 5 वर्ष की है। आमतौर पर, एक लड़की को माँ के साथ रहने की अनुमति दी जाए ताकि उसकी उचित देखभाल की जा सके। यह भी वांछनीय नहीं है कि दो बच्चे एक-दूसरे से अलग हों। यदि किसी लड़की को माँ के साथ रहना है, तो दोनों बच्चों के हित में होगा कि वे दोनों माँ के साथ रहें। यहाँ भारत में भी बच्चों की उचित देखभाल की जाती है और वे वर्तमान में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमें अपीलकर्ता में बच्चों की उचित देखभाल करने में कोई कमी नहीं लगी। दोनों बच्चे माँ के साथ रहने की इच्छा रखते हैं। साथ ही यह भी कहा जाना चाहिए कि बेटा, जो बेटी से बड़ा है, अपने पिता के लिए भी अच्छी भावनाएँ रखता है। बच्चों के कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारा यह मत है कि अमेरिका में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद,उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को स्वीकार करना और अपीलकर्ता को बच्चों की कस्टडी प्रतिवादी को सौंपने**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

और उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति देना उचित नहीं था। अमेरिका। बच्चों के हित में क्या होगा, इसके लिए पूरी और गहन जाँच की आवश्यकता है और इसलिए, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी को उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना चाहिए था, जिसमें ऐसी जाँच की जा सके। फिर भी, बच्चों के हित में माँ के अमेरिका लौटने की कुछ संभावना है। इसलिए, हम बच्चों की कस्टडी के अधिकार के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते। अपीलकर्ता के बच्चों के साथ अमेरिका लौटने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संयुक्त रूप से गिरफ्तारी वारंट रद्द करवाने के लिए अमेरिका की अदालत को उन परिस्थितियों के बारे में बताएँ जिनके तहत वह अदालत की अनुमति लिए बिना बच्चों के साथ अमेरिका से चली गई थी। संभावना है कि इसके बाद दोनों उस अदालत का दरवाजा खटखटा सकें जिसने बच्चों की कस्टडी और मुलाकात के अधिकार के संबंध में आदेश को उचित रूप से संशोधित करने का आदेश पारित किया था।

36. **ऐसे निर्णयों की एक लंबी सूची है, जिनमें से कुछ पर संबंधित पक्षों ने भरोसा किया है, जिनमें ऐसी अजीबोगरीब स्थिति का निपटारा किया गया है जहाँ नाबालिग को उसके मूल देश से हटाकर उसके माता-पिता में से एक द्वारा भारत लाया गया था और उसके बाद बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका/आवेदन दायर किया गया था। कुछ मामलों में, न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि नाबालिग को उस माता-पिता की वैध कस्टडी से हटा दिया गया था जिसके पक्ष में मूल देश के न्यायालय द्वारा कस्टडी आदेश पारित किए गए थे और इसलिए, बच्चे को हटाना अवैध बताया गया। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि केवल इसी आधार पर नाबालिग को उसके मूल देश वापस भेजा जाना आवश्यक है। इन मामलों में भी इसी तरह के तर्क दिए गए कि यद्यपि माता-पिता के पक्ष में कोई कस्टडी आदेश नहीं था, फिर भी बच्चे की कस्टडी**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

केवल इस आधार पर मांगी गई थी कि बच्चे को उसके मूल देश से अवैध रूप से हटाकर भारत लाया गया है।

चाहे माता-पिता में से किसी एक के पक्ष में कोई हिरासत आदेश हो या न हो, उन सभी मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय का लगातार दृष्टिकोण माता-पिता के अधिकार क्षेत्र में मामले की जाँच करना रहा है, जिसमें बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में, कुछ मामलों में, न्यायालय ने बच्चे को उसके मूल देश वापस भेजने का निर्देश दिया है, जबकि कुछ मामलों में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए, प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है।

37. लहरी सखामुरी बनाम शोभन कोडाली (सुप्रा) **मामले में, बच्चों को अमेरिका से निकाले जाने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, भारत में दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से मामले की जाँच की कि नाबालिग का कल्याण कहाँ निहित है।**

38. तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य (सुप्रा) **के मामले में भी, ऐसी ही स्थिति थी जहाँ नाबालिग को उसके मूल देश से हटाकर भारत लाया गया था और उसके बाद उसके मूल देश में रहने वाले माता-पिता द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी।** नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य (सुप्रा) और बनाम रवि चंद्रन बनाम भारत संघ, **(2010) 1** सर्वोच्च न्यायालय मामले **174 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर, बच्चे की अभिरक्षा के लिए माता-पिता के प्रतिद्वंदी दावे की जाँच की गई, ताकि यह पता लगाया**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

जा सके कि नाबालिग का कल्याण कहाँ है, भले ही बच्चे को उसके मूल देश से हटाकर माता-पिता में से किसी एक द्वारा भारत लाया गया हो।

यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सुप्रा) **मामले में भी, बच्चे को विदेश से लाने की इसी पृष्ठभूमि में, बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना गया था।**

39. **इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुसंगत दृष्टिकोण उन मामलों में भी जहाँ किसी नाबालिग को उसके मूल देश से हटाकर भारत लाया गया है, माता-पिता द्वारा अभिरक्षा के दावे की जाँच करते समय, न्यायालय का दृष्टिकोण बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानने के सिद्धांत पर आधारित रहा है।**

40. रुचि माजू बनाम संजीव माजू (सुप्रा) **के मामले में, बच्चे की अभिरक्षा की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जाँच का दायरा और दायरा नीचे दिए गए अनुसार समझाया गया है:-**

> "58. **बंदी प्रत्यक्षीकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है, जहाँ कथित बंदी की हिरासत की वैधता की जाँच पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर की जाती है। फिर भी, उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में विस्तृत जाँच शुरू करने से कोई नहीं रोकता जहाँ नाबालिग का कल्याण प्रश्नगत हो, जो न्यायालय के लिए अपने पैरेन्स पैट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय सर्वोपरि विचारणीय है। इसलिए, उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में, हिरासत की वैधता निर्धारित करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है और नाबालिग की हिरासत के संबंध में आदेश भी जारी कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय ऐसी हिरासत के प्रतिद्वंदी दावों, यदि कोई हों, को कैसे देखता है।**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

> 59. **न्यायालय नाबालिग बच्चे को उस देश में वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है जहाँ से उसे उसके माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा भेजा गया हो; जैसा कि इस न्यायालय ने वी. रवि चंद्रन (डॉ.) बनाम भारत संघ**, (2010) 1 **एससीसी** 174 **और शिल्पा अग्रवाल बनाम अविरल मित्तल**, (2010) 1 **एससीसी** 591 **मामलों में निर्देश दिया था या ऐसा करने से इनकार कर सकता है जैसा कि सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा**, (2000) 3 **एससीसी** 14 **में स्थिति थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक कथित बंदी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तब तक उसके उचित आदेश पारित करने की क्षमता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रिट न्यायालय का हिरासत के संबंध में उचित आदेश देने का अधिकार क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब यह पाया जाता है कि कथित बंदी उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है।**

41. **याचिकाकर्ता, पिता ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिवादी-माँ द्वारा बच्चे को अवैध रूप से दुबई से भारत ले जाया गया है। उनका तर्क यह है कि बच्चे का जन्म दुबई में हुआ था, इसलिए दुबई उसका प्राकृतिक आवास है और बच्चे से उसका सबसे घनिष्ठ संपर्क और सबसे करीबी रिश्ता है, इसलिए बच्चे को दुबई वापस लौटाया जाना चाहिए ताकि वह अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सके, अपने पिता और दादा-दादी का प्यार, देखभाल और ध्यान प्राप्त कर सके, अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू कर सके और अपने शिक्षकों, साथियों और दोस्तों के साथ रह सके। 'अंतरंग संपर्क और निकटतम संबंध की अदालत' और 'न्यायालय की विनम्रता' के सिद्धांत पर, बच्चे को याचिकाकर्ता की हिरासत में दुबई वापस भेजने का निर्देश दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता माँ की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम है। वह अपने पति, यानी याचिकाकर्ता पर निर्भर है और वास्तव में, उसे** 20,000 **रुपये प्रति माह देकर आर्थिक सहायता दी जा रही है। उसने वर्ष** 2016 **में नौकरी छोड़ दी और**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

उसके बाद से वह कमाई नहीं कर रही है और इसलिए वह अपने बेटे की स्कूली शिक्षा और अन्य सभी ज़रूरतों का ध्यान रखने में आर्थिक रूप से अक्षम है, जबकि याचिकाकर्ता अच्छी कमाई कर रहा है और आर्थिक रूप से संपन्न है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नाबालिग को दुबई के स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। दुबई से पाँच साल बाद नाबालिग को निकालने के कारण उसे दुबई से बेदखल होना पड़ा। प्रतिवादी संख्या 6 के आचरण और नैतिकता पर भी हमला किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी शिकायतें और आरोप लगा रही है और उसका आचरण उसे बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं बनाता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 के साथ बच्चे की कस्टडी हानिकारक होगी। उसके पास अच्छी स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है। वह एक अनैतिक चरित्र और पतित मूल्य प्रणाली वाली व्यक्ति है।

42. **कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा दायर पूरक हलफनामे में, अदालत को बताया गया है कि माँ को नौकरी मिल गई है। यह भी बताया गया है कि बच्चे का दाखिला जयपुर के स्कूल में हो गया है। नाबालिग अयांश की वेतन पर्ची, प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और उसके स्कूल प्रदर्शन को भी रिकॉर्ड में रखा गया है।**

43. **यह सच है कि शुरू में जब याचिका दायर की गई थी, प्रतिवादी संख्या 6 के पास बहुत अच्छे वित्तीय साधन नहीं थे, सिवाय इसके कि वह मुख्य रूप से अपने पिता पर निर्भर थी, हालाँकि वह रोज़गार करने के लिए योग्य थी, लेकिन बाद में उसने अपने लिए नौकरी हासिल कर ली और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। रोज़गार पत्र और वेतन पर्ची से पता चलता है कि उसे प्रति वर्ष**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

3,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, अगर हम उसकी वित्तीय स्थिति की तुलना याचिकाकर्ता से करें, तो याचिकाकर्ता के पास प्रतिवादी संख्या 6 की तुलना में कहीं बेहतर वित्तीय साधन और संपन्नता है। याचिकाकर्ता ने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की है और कैलेंडर वर्ष 2023 में 9.40 करोड़ रुपये के बराबर राजस्व अर्जित करने का दावा करता है। इसलिए, वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 6 की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक रूप से सक्षम है।

44. प्रतिवादी संख्या 6 ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया है कि वह नशीली दवाओं और यौन व्यसनी है। याचिकाकर्ता के नशीली दवाओं के व्यसनी होने के आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है। याचिकाकर्ता ने अपना नशीली दवाओं का परीक्षण रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इस अदालत ने याचिकाकर्ता का नशीली दवाओं का परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया था। किसी भी रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 6 के याचिकाकर्ता के नशीली दवाओं के व्यसनी होने के मामले का समर्थन नहीं किया गया।

45. याचिकाकर्ता पर यौन व्यसनी होने का आरोप कुछ व्हाट्सएप चैट पर आधारित है, जिन पर याचिकाकर्ता ने गंभीर रूप से विवाद किया है। यदि प्रतिवादी संख्या 6 ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है, तो प्रतिवादी संख्या 6 को ठोस सबूत पेश करके इसे साबित करना होगा और केवल व्हाट्सएप चैट, जिन पर याचिकाकर्ता ने भी गंभीर रूप से विवाद किया है, को याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप साबित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

46. **यद्यपि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने दहेज अपराध और घरेलू हिंसा के संबंध में झूठे आरोप लगाए हैं, फिर भी इन कार्यवाहियों में, यह न्यायालय किसी भी निर्णय के लिए कोई सुनवाई नहीं करेगा। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने प्राथमिकी दर्ज की है और एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। मामला सुनवाई के लिए लंबित है।**

47. **यद्यपि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति प्रतिवादी संख्या 6 से कहीं बेहतर है, फिर भी इसे नाबालिग की अभिरक्षा पिता को सौंपने के निर्देश के लिए निर्णायक कारक नहीं माना जा सकता।**

प्रतिवादी संख्या 6 के विरुद्ध यह आरोप कि वह झूठी शिकायतें और आरोप लगाती रही है और याचिकाकर्ता के माता-पिता व रिश्तेदारों के प्रति नफ़रत पालती रही है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 6 बच्चे की कस्टडी के लिए उपयुक्त नहीं है। स्वाभाविक रूप से, जब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध सभी मामलों को साबित करना आवश्यक होता है। इन सभी मामलों की क्रमशः सिविल और आपराधिक अदालतों में विस्तृत जाँच की आवश्यकता होगी। जब तक कि संबंधित पक्षों द्वारा उन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उनमें से कोई एक बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त है, यह न्यायालय यह मानेगा कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी संख्या 6 में से किसी में भी अनुपयुक्तता का कोई तत्व नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि उनमें से किसी के पास बच्चे की कस्टडी होना नाबालिग के जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा। पक्षकार आपस में झगड़ रहे होंगे और बेबुनियाद आरोप लगा रहे होंगे, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी संख्या 6 ने नाबालिग के साथ ऐसा

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

व्यवहार किया हो जिससे बच्चे की कस्टडी उनमें से किसी के पास भी जारी रखना असुरक्षित हो।

48. **याचिकाकर्ता का एक मुख्य तर्क यह रहा है कि बच्चा दुबई में पैदा हुआ था, इसलिए वह उस जगह का स्वाभाविक निवासी है। हालाँकि, बहस के दौरान, इस बात पर विवाद नहीं हो सका कि नाबालिग बेटे सहित किसी भी पक्षकार ने दुबई की नागरिकता हासिल नहीं की है। यह सच है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से दुबई में है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह दुबई का नागरिक बन गया है। दोनों पक्षों का नाबालिग बेटा दुबई में पैदा हुआ था, इसलिए वह उस क्षेत्र का स्वाभाविक निवासी होगा। हालाँकि, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ बच्चा दुबई में बहुत लंबे समय तक रहा हो, यहाँ तक कि उसने शिक्षकों, दोस्तों, साथियों के साथ घनिष्ठ और अंतरंग संपर्क विकसित कर लिया हो और दुबई की जीवनशैली और संस्कृति का अभ्यस्त हो गया हो कि दुबई से उसके निष्कासन का उखड़ने जैसा प्रभाव पड़ा हो। यह सच है कि जिस समय बच्चे को दुबई से हटाकर भारत लाया गया, उस समय उसकी उम्र मात्र पाँच वर्ष थी। इतनी कम उम्र में, बच्चा ज़्यादातर अपने माता-पिता और ख़ासकर अपनी माँ की देखभाल, संगति और स्नेह में रहता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, माता-पिता पर उसकी निर्भरता धीरे-धीरे कम होती जाती है और वह अपने परिवेश का आदी हो जाता है और किसी विशेष स्थान पर लंबे समय तक रहने के कारण अपने आस-पास एक स्वाभाविक वातावरण विकसित कर लेता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, यह मानना मुश्किल है कि बच्चे को उस उम्र में, जब वह केवल पाँच वर्ष का था, हटा दिए जाने के कारण उसकी जमीन से उखाड़ दिया गया है। इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि चाहे दुबई में हो या भारत में, नाबालिग बेटा अपनी माँ की निरंतर देखभाल और संगति में रहा है। निश्चित रूप से पिता अपना स्नेह बरसा रहे होंगे और बच्चा माँ के साथ उनके साथ ही रहा होगा, लेकिन बच्चे की उम्र को देखते हुए जब उसे दुबई से निकाला गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने परिवेश और वातावरण का इतना आदी हो गया था कि उसकी जड़ें उखड़**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

गईं। एक बच्चे को अपने निवास स्थान के रूप में अपनी जड़ें जमाने में ज़्यादा समय लगेगा।

49. **संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए हलफनामों पर की गई दलीलों के आधार पर पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन करने पर, पिता की बेहतर आर्थिक स्थिति को छोड़कर, अन्य सभी कारक लगभग समान हैं, लेकिन माँ के पक्ष में बढ़त दिखाई देती है क्योंकि माँ ही है जो नाज़ुक उम्र के बच्चे के सबसे करीब होती है क्योंकि बच्चा हर चीज़ के लिए अपनी माँ पर निर्भर होता है। बच्चा अब सात और आठ साल का हो चुका है। चाहे दुबई में हो या भारत में, वह अपनी माँ की निरंतर देखभाल और संगति में रहा है, हालाँकि पिछले लगभग दो वर्षों से वह पिता के साथ से अलग है।**

यदि हम उपरोक्त दृष्टिकोण से संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखें, तो इस उम्र में बच्चे को माँ की हिरासत से हटाकर पिता को सौंपना और वह भी उसे पिता के साथ दुबई वापस भेजना, जहाँ माँ के लिए अपने बच्चे से मिलना बेहद मुश्किल होगा, हमारी सुविचारित राय में, बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता है। हमारी राय में, बच्चे की वर्तमान उम्र ऐसी है कि उसका कल्याण तभी बेहतर होगा जब उसे कुछ और समय के लिए अपनी माँ की हिरासत में रहने दिया जाए और आने वाले समय में जब उसकी शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं का खर्च बढ़ जाएगा, तभी बच्चे के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बशर्ते कि माँ अपनी वित्तीय क्षमता में इस तरह सुधार न कर ले कि वह बच्चे की सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जिसमें उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, पाठ्येतर गतिविधियाँ और उसके समग्र शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अन्य सभी ज़रूरतें शामिल हैं।

50. **पिता आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण, उसके लिए अक्सर भारत आना और बच्चे से मिलना आसान होगा, बजाय इसके कि माँ अपने नाबालिग बेटे से मिलने दुबई जाए। इसलिए, बच्चे को माँ की देखरेख में रखने की व्यवस्था बच्चे के हित में अधिक लाभकारी और बेहतर होगी क्योंकि उस स्थिति में, बच्चे को न केवल माँ की देखभाल**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

और स्नेह मिलेगा, बल्कि पिता का निरंतर सहयोग, मुलाकात और मार्गदर्शन भी मिलेगा। यह भी एक ऐसा कारक है जो प्रतिवादी संख्या 6 **द्वारा नाबालिग की देखरेख जारी रखने के पक्ष में है।**

51. **याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने** लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली **(**सुप्रा**) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जहाँ न्यायालय ने पाया कि बच्चे न केवल अमेरिका में पैदा हुए थे, बल्कि अमेरिकी पासपोर्ट के साथ अमेरिकी नागरिक भी बन गए थे। इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला था जहाँ बच्चों को अस्थायी और शारीरिक अभिरक्षा पिता को देने के आदेश के विरुद्ध वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने अभिरक्षा के मामले में अमेरिकी न्यायालय की इस टिप्पणी को भी ध्यान में रखा कि बच्चों के कल्याण के सिद्धांत को अमेरिकी न्यायालय ने पिता के पक्ष में अभिरक्षा का आदेश पारित करते समय ध्यान में रखा था और माता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई उपाय नहीं किया गया था। उपरोक्त कारकों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित हैं, न्यायालय ने बच्चों को अमेरिका वापस भेजने का निर्देश दिया ताकि वे प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकें।**

52. **याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले** तेजस्विनी गौड़ एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एवं अन्य **(**सुप्रा**) में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें हिरासत का विवादित कारण प्राकृतिक अभिभावक, अर्थात् एक ओर पिता और दूसरी ओर बच्चे की मृत माँ की बहनों के बीच था। यह ध्यान दिया गया कि बच्चा अजीब और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में माँ की बहनों के पास चला गया। इस अवधि के दौरान, जब पिता बहुत बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, माँ की बहनों ने बच्चे की देखभाल की थी। रोज़ी जैकब वेसस जैकब ए. चक्रमक्कल,** (1973) 1 **सुप्रीम कोर्ट केसेज** 840 **के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि पिता की योग्यता पर मुख्य रूप से उसके नाबालिग बच्चे के कल्याण के संदर्भ में विचार, निर्धारण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सभी प्रासंगिक**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

परिस्थितियों के संदर्भ में, बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया था जब वह केवल चौदह महीने की थी और अगर उसे अपनी माँ की बहनों की हिरासत में छोड़ दिया जाता है, तो वह बिना किसी वैध कारण के अपने पिता के प्यार से वंचित हो जाएगी, जब पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं है, जो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है और स्थिर आर्थिक स्थिति के साथ एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। वर्तमान मामले में, हिरासत का प्रतिद्वंदी दावा पिता और माता के बीच है, इसलिए, उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता के लिए नहीं आता है।

53. **याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने** नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य (सुप्रा) **मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है। उस मामले में, यह पाया गया कि बच्चे के पिता और माता दोनों ही भारतीय मूल के थे। शादी के बाद, पिता छात्र के रूप में यू.के. चले गए थे। दंपति यू.के. चले गए और वहीं रहने लगे। हालाँकि माँ ने नौकरी कर ली, लेकिन उसे दिल्ली में अपने माता-पिता के घर आना पड़ा जहाँ बच्चे का जन्म हुआ। पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण, पत्नी बच्चे के साथ भारत में ही रही। यह पाया गया कि बच्चा पूरे समय माँ और अपने दादा-दादी के साथ रह रहा था, जबकि यू.के. में वह तीन लोगों के एकल परिवार में रहती थी, जहाँ उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था। यह पाया गया कि बच्चा पिछले एक साल से भारत में स्कूली शिक्षा ले रहा है। यह भी ध्यान में रखा गया कि बच्ची अपनी माँ के साथ रहने में अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करेगी, जो उसे उसके चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा के संपूर्ण विकास के लिए प्यार, समझ, देखभाल और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। न्यायालय के मन में एकमात्र अतिरिक्त कारक यह था कि यह एक बालिका का मामला था। परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का विचार था कि बच्ची के सर्वोत्तम हित में यही होगा कि वह अपनी माँ की हिरासत में रहे। यह ध्यान देने योग्य है कि उस मामले में, बच्चे को उसकी माँ ने न्यायालय के उस आदेश का उल्लंघन करते हुए ब्रिटेन से ले जाया था जिसमें बच्चे को पेश करने का निर्देश दिया गया था, जहाँ वार्डशिप का मुद्दा विचाराधीन था। इस बात**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर 1980 **के हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, बच्चे की हिरासत माँ के पास रहने दी गई।**

54. **याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने** यशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (सुप्रा) **मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अत्यधिक भरोसा किया है। यह तथ्यात्मक रूप से एक ऐसा मामला था जहाँ अमेरिकी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए बच्चे को भारत से निकाल कर भारत स्थानांतरित कर दिया गया था। एक विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बावजूद, बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को फिर से लागू किया गया। बच्चे की आयु, बच्चे की राष्ट्रीयता, विदेशी न्यायालय में कार्यवाही, वीज़ा समस्या आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया और अंततः, बच्चे की कस्टडी माँ के हाथों में सौंप दी गई। न्यायालय ने पिता द्वारा दायर हलफनामे पर भी विचार किया था। वर्तमान मामले में भी इसी तरह का हलफनामा दायर किया गया है।**

55. **याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने** रोहित थम्मन गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (सुप्रा) **मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें विदेशी न्यायालय ने बच्चे को अमेरिका वापस भेजने का आदेश पारित किया था और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि दूसरे अवसर पर पारित ऐसा आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था। उस मामले में बच्चा लगभग ग्यारह वर्ष का एक लड़का था और एक अमेरिकी पासपोर्ट वाला एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक था और उसके माता-पिता भी स्थायी अमेरिकी निवासी कार्ड धारक थे, जिन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। तथ्यों के आधार पर, यह भी पाया गया कि बच्चे का जन्म** 2011 **में हुआ था और** 2020 **तक वह वहीं रह रहा था और पढ़ाई कर रहा था और इस तथ्य पर भी उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

56. **इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक मामला अपने-अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है और केवल इसलिए कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पिता की आर्थिक स्थिति माँ की तुलना में बेहतर है।**

57. **तदनुसार, सात-आठ वर्ष की आयु के बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि माँ ने भी जयपुर में काम करना शुरू कर दिया है और पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध लगाए गए आरोप और प्रतिआरोप किसी भी ठोस सबूत से प्रमाणित नहीं होते हैं, अन्य सभी बातों को समान और समतुल्य रखते हुए, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चा अपने जन्म के बाद से लगातार अपनी माँ के साथ रहा है और माँ ऐसी किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है जिससे बच्चे को माँ के साथ गंभीर जोखिम और चोट पहुँचे और यह भी ध्यान में रखते हुए कि पिता के लिए माँ की तुलना में मुलाक़ात के अधिकार का प्रयोग करना आसान होगा, हमारा विचार है कि बच्चे को दुबई वापस भेजने के बजाय उसे माँ की अभिरक्षा में ही रखा जाना चाहिए।**

58. **हालाँकि, पिता को प्रभावी मुलाक़ात का अधिकार इस प्रकार होगा कि जब भी पिता भारत आए और बच्चे से मिलना चाहे, प्रतिवादी संख्या 6 को याचिकाकर्ता को पूरी पहुँच प्रदान करने की ज़िम्मेदारी होगी क्योंकि बच्चे के कल्याण के लिए न केवल माँ बल्कि पिता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में, बेटे को उच्च शिक्षा के लिए अपने पिता से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद अन्य आवश्यकताएँ भी होंगी जो वर्तमान में उसकी उम्र और अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम स्तर पर हैं। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि माता-पिता के बीच मतभेदों और विवादों के बावजूद, बच्चा पिता और माँ दोनों की देखभाल, प्यार, स्नेह, बंधन और लगाव के साथ बड़ा हो। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 6 यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जब भी पिता बच्चे से मिलने की इच्छा करे, उसे तुरंत बच्चे तक पहुँच प्रदान की जाए। आमतौर पर सप्ताहांत, यानी शनिवार और रविवार बच्चे के लिए अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए आरामदायक होते हैं। एक बार जब पिता**

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

भारत आने की सूचना माँ को दे देता है और बच्चे से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बच्चे से मिलने और उसके साथ रहने का अधिकार होगा। इसके अलावा, अगर स्कूल में छुट्टियाँ और अवकाश हों, तो हर छुट्टी के दिन, पिता को ऊपर बताए गए समय के दौरान बच्चे से मिलने की अनुमति होगी। माँ की सहमति से, बच्चे को पिता द्वारा सैर, खरीदारी और अन्य गतिविधियों के लिए ले जाया जा सकता है। माता-पिता दोनों को सलाह दी जाती है कि उनके विवाद का असर उनके बेटे पर न पड़े और वह उन दोनों के प्यार, देखभाल और ध्यान से वंचित न रहे। यह न्यायालय इस बात की सराहना करेगा कि प्रतिवादी संख्या 6 याचिकाकर्ता और बच्चे के साथ सैर पर जाने के लिए सहमत हो, बशर्ते दोनों सहमत हों। यह माता-पिता की ओर से एक ऐसा कदम होगा जो कुछ लंबित विवादों के बावजूद बच्चे के कल्याण के लिए फायदेमंद होगा। यदि पिता दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे से बातचीत करना चाहता है, तो याचिकाकर्ता के अनुरोध पर, प्रतिवादी संख्या 6 बच्चे को उचित बातचीत की सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा ताकि पिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से बच्चे से बातचीत कर सके।

59. **परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के मामले में, पक्षकार हिरासत और मुलाक़ात के अधिकारों के संबंध में इस आदेश के उचित स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए पुनः इस न्यायालय में आवेदन करने के हकदार होंगे।**

60. **यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 6 न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है और बेतुके बहानों से बच्चे तक पहुँच से बच रहा है, तो यह न्यायालय हिरासत और/या मुलाक़ात दोनों के संबंध में वर्तमान आदेश में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है।**

61. **तदनुसार, याचिका का निपटारा किया जाता है।**

(शुभा मेहता),जे **(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव),सी जे**

संजय कुमावत-69

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate

(30/05/2025 को 12:44:41 बजे डाउनलोड किया गया)